श्रम संगम

वर्ष: 5, अंक: 1

जनवरी–जून 2019

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

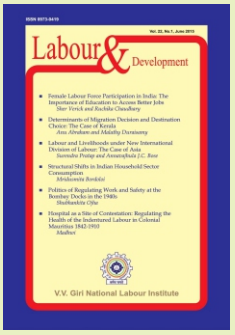

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

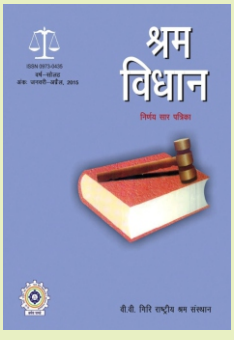

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली / नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

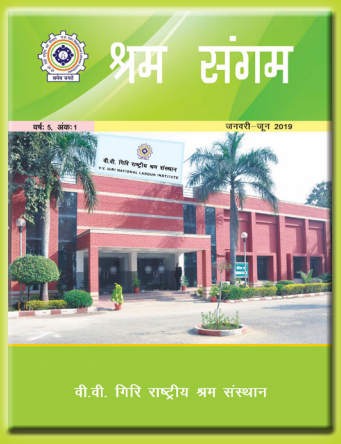

मुख्य संरक्षक
डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 5, अंक: 1, जनवरी-जून, 2019

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से	2
❍	गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर – डॉ. संजय उपाध्याय	3
❍	वैश्वीकरण पर संरक्षणवाद का साया – डॉ. शशि बाला	6
❍	हाहाकार (कविता) – डॉ. पूनम एस. चौहान	7
❍	राजभाषा सम्मान	8
❍	लिंग, कार्य और देखभाल: रोजगार कानूनों एवं नीतियों का पुनरावलोकन – डॉ. एलीना सामंतराय	9
❍	जय हिंद की सेना (कविता) – बीरेंद्र सिंह रावत	10
❍	नई सरकार का एजेंडा: सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध एवं सर्वसमावेशी भारत – राजेश कुमार कर्ण	11
❍	मेरी माँ (कविता) – विकेश कुमार	21
❍	शिक्षा का व्यापार (कविता) – रुचिका चौहान	21
❍	उसकी भूख (कविता) – डॉ. पूनम एस. चौहान	22
❍	श्रमदान करता हूँ (कविता) – विनीता मिश्रा	23
❍	मैं तो मजदूर हूँ (कविता) – फणीश सिंह कुशरे 'सुर'	23
❍	जिंदगी की राह (लघु कथा)	24
❍	लोकतंत्र का महापर्व – बीरेंद्र सिंह रावत	25
❍	जीने की राह: शुभम कुमार	32
❍	राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का परिणाम	32
❍	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन: भारत के असंगठित कामगारों के लिए एक वृहद पेंशन योजना – राजेश कुमार कर्ण	33
❍	त्रिशंकु (कहानी) – मन्नू भंडारी	36
❍	जीना इसी का नाम है: दैतारी नायक	44

महानिदेशक की कलम से...

हिंदी बहुत ही सरल, सहज एवं सुबोध भाषा है। यह पूरे देश में न केवल संपर्क भाषा के रूप में अत्यंत लोकप्रिय है अपितु आज यह विश्व के एक बड़े समुदाय की भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। यह किसी भी भाषा की ध्वनियों एवं उच्चारणों को सहजता से आत्मसात कर लेती है। तभी तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का कहना था–'हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।' भारत की सामासिक संस्कृति की भाषा हिंदी के प्रचार –प्रसार हेतु हमें सरकारी कामकाज में अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने चाहिए ताकि सरकार की जनोपयोगी एवं कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक सुलभ हो सके तथा यह देश की उन्नति में सक्रियता से भागीदारी कर सके।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा संबंधी निदेशों का अनुपालन करने के साथ ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के विभिन्न कार्यकलापों में भी सदैव पूरी सक्रियता के साथ सहयोग करता रहता है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में वर्ष 2017–18 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए संस्थान को नराकास, नौएडा द्वारा 31.01.2019 को गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल जुबिली टावर, सैक्टर–1 नौएडा में आयोजित 37वीं बैठक में f}rh; ijLdkj से सम्मानित किया गया है।

'श्रम संगम' पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है। पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्शक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

एच श्रीनिवास

¼Mk- ,p- JhfuokI½

गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर

डॉ. संजय उपाधयाय*

बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान लेखक, विश्व–प्रसिद्ध साहित्यकार, संगीतज्ञ, गीतकार तथा गुरुदेव के नाम से विख्यात महान शख्सियत 'रबीन्द्रनाथ टैगोर' को एशिया महाद्वीप से विश्व का सर्वोच्च सम्मान ^ukcy iqjLdkj* प्राप्त करने वाले çFke ukxfjd होने का गौरव हासिल है। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में (उनकी लोकप्रिय कृति 'गीतांजलि' के लिए) प्राप्त हुआ था।

thouÙk रबीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 07 मई 1861 को कोलकाता स्थित टैगोर परिवार के पैतृक घर, जोड़ासांको की ठाकुरबाड़ी में देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। वह अपने माता–पिता की 13वीं तथा सबसे छोटी संतान थे। हालांकि टैगोर परिवार में कई सदस्य थे, लेकिन अधिकांशतः उनका लालन–पालन परिवार के नौकर–नौकरानियों द्वारा किया गया क्योंकि उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, और काम की वजह से उनके पिता ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहते थे। रबीन्द्रनाथ अपने जीवन के आरंभिक काल से ही अत्यंत मेधावी और सृजनशील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के प्रसिद्ध सेंट ज़ेवियर स्कूल में हुई। ग्यारह वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के बाद वह अपने पिता जी के साथ भारत भ्रमण पर निकले। पहले शांतिवन, फिर अमृतसर होते हुए वे पर्वतीय पर्यटन नगरी डलहौजी पहुँचे। भारत भ्रमण पर निकले रबीन्द्रनाथ ने अनेक आत्मकथाएं पढीं, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान एवं संस्कृत का अध्ययन किया। अमृतसर में एक माह के प्रवास के दौरान वे नित्य विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जाया करते थे और वहाँ पर गायी जाने वाली गुरुवाणी एवं नानकवाणी से रबीन्द्रनाथ काफी प्रभावित हुए। उन्हें यहाँ एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ, जिसका सदुपयोग बाद में उन्होंने अनेक कविताएँ और धर्म पर कई लेख लिखने के लिए किया। उनके पिता की गणना तत्कालीन कलकत्ता के मशहूर बैरिस्टरों, अत्यंत ही समाज समर्पित तथा लब्ध–प्रतिष्ठ लोगों में होती थी। वह रबीन्द्रनाथ को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने रबीन्द्रनाथ को कानून की पढ़ाई के लिए वर्ष 1878 में लंदन विश्वविद्यालय भेज दिया लेकिन

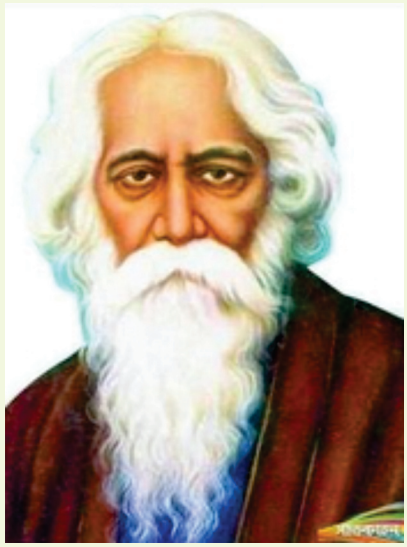

उनकी स्वयं की वास्तविक रुचि संगीत और स्वाध्याय से साहित्य के ज्ञानार्जन एवं सृजन में थी। स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य तथा संगीत का सार सीखने के बाद वह अपनी कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर वर्ष 1880 में भारत वापस आ गए। वर्ष 1883 में मृणालिनी देवी से उनका विवाह हुआ तथा उनके पाँच बच्चे हुए। रबीन्द्रनाथ ने वर्ष 1890 से शैलदाह (वर्तमान में बांग्ला देश के खुलना जिले में स्थित) में अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल करना शुरू किया और अनियमित अंतराल के साथ वह लगभग एक दशक तक वहाँ पर रहे। शैलदाह में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने अपनी अनेक प्रसिद्ध कविताओं, निबंधों एवं लघु कथाओं की रचना की तथा अपनी प्रसिद्ध कृति 'गीतांजलि' का अंग्रेजी अनुवाद भी शुरु किया। रबीन्द्रनाथ के पिता ने शांतिनिकेतन में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा था। रबीन्द्रनाथ को प्रकृति का सानिध्य काफी प्रिय था। उनका मानना था कि छात्रों को प्रकृति के सानिध्य में ही शिक्षा हासिल करनी चाहिए। अपनी इसी सोच के अनुरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में प्रायोगिक तौर पर एक स्कूल स्थापित करने के विचार के साथ वर्ष 1901 में शांति निकेतन में एक आश्रम की स्थापना की। इसमें संगमरमर के फर्श के साथ एक प्रार्थना कक्ष 'द टेंपल', फलोद्यान, बगीचा एवं पुस्तकालय थे। वहाँ की कक्षाएं पेड़ों के नीचे आयोजित की जाती थीं और पारंपरिक गुरु–शिष्य शिक्षण पद्धति का पालन किया जाता था। यह प्रायोगिक विद्यालय कालांतर में 'ब्रह्म विद्यालय', बाद में 'शान्ति निकेतन' तथा तत्पश्चात वर्ष 1921 में 'विश्व भारती विश्वविद्यालय' के नाम से प्रख्यात हुआ। रबीन्द्रनाथ टैगोर को यह विश्वास था कि आधुनिक पद्धति की तुलना में शिक्षण की इस प्राचीन पद्धति का पुनरुद्धार फायदेमंद साबित होगा। दुर्भाग्य से, शांति निकेतन में रहने के दौरान उनकी पत्नी और उनके दो बच्चों की मृत्यु हो गई और इससे रबीन्द्रनाथ कुछ समय के लिए विचलित हो गए, परंतु फिर अपनी रचनाधर्मिता के सहारे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पाँच साल बहुत कष्ट में बिताए। 1937 में वह एक लंबी बेहोशी का शिकार हो गए। कुछ दिनों तक ठीक रहने के बाद वह एक बार पुनः वर्ष 1940 के अंतिम दिनों में बेहोशी का शिकार हो गए और फिर इससे उबर नहीं पाये। उन्होंने 07 अगस्त 1941 को अंतिम साँस उसी जोड़ासांको हवेली में ली, जहाँ उनका जन्म हुआ था।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

0;fDrRo% रबीन्द्रनाथ काफी हद तक स्वाध्याय से पढ़े थे और उन्हें जिमनास्टिक्स, मार्शल आर्ट, कला, शरीर रचना विज्ञान, साहित्य, इतिहास और गणित के क्षेत्र में उनके भाई–बहनों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। उनके जीवन पर उनके भाई–बहनों के व्यक्तित्व का काफी प्रभाव पड़ा था। उनके बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक कवि और दार्शनिक थे तो उनके एक और भाई सत्येंद्रनाथ एक उच्च सम्मानजनक स्थिति में थे। इसी प्रकार उनकी बहन स्वर्णकुमारी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थीं। रबीन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, का व्यक्तित्व हर दृष्टि से एक बहुआयामी और विराट व्यक्तित्व था। वह एक उच्च कोटि के बांग्ला कवि, ब्रह्म समाज के दार्शनिक, कलाकार, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और एक संगीतकार थे। वह एक सांस्कृतिक सुधारक भी थे, जिन्होंने शास्त्रीय कलाओं के क्षेत्र में इसे सीमित करने वाली शक्तियों का विरोध करते हुए बंगाली कला को परिशोधित किया। आज भी रबीन्द्रनाथ टैगोर को अक्सर उनके काव्य गीतों के लिए याद किया जाता है, जो आध्यात्मिक और मधुर दोनों ही हैं। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और प्रखर बुद्धि वाली उन महान हस्तियों में से एक थे, जो अपने समय से आगे की सोचते थे, और यही कारण है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी मुलाकात को विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच टकराव माना जाता है। रबीन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के संभवतः एकमात्र ऐसे कवि हैं, जिनकी रचनाओं को दो देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। जन गण मन (भारत का राष्ट्रीय गान) के अलावा उनकी रचना 'आमार शोनार बांग्ला' को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। साथ ही, श्रीलंका के राष्ट्रीय गान में भी उनकी छाप मिलती है क्योंकि उस गाने के रचयिता आनंद समराकून विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन में उनके शिष्य रह चुके थे। 16 अक्टूबर 1905 को रबीन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कोलकाता में मनाए गए रक्षाबंधन उत्सव से 'बंग–भंग आंदोलन' की शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। 30 मई 1919 को भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबल पुरस्कार विजेता रबीन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी हुकुमत का विरोध करते हुए अपनी 'सर' की उपाधि वापस लौटा दी थी। उन्होंने यह उपाधि विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला बाग कांड (1919) की घोर निंदा करते हुए लौटाई थी। तब उन्होंने कहा था– ''नाइट हुड मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है जब अंग्रेज भारतीय नागरिकों को इंसान तक नहीं समझते हैं।'' उन्हें 'नाइट हुड' की उपाधि ब्रिटिश सरकार की ओर से वर्ष 1915 में दी गयी थी। उस दौरान जिस शख्स को 'नाइट हुड' की उपाधि से नवाज़ा जाता था, उसके नाम के साथ 'सर' लगाया जाता था।

उन्होंने सार्वजनिक रूप से यूरोपीय साम्राज्यवाद एवं उस शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय नागरिकों पर थोपी गई थी। उनका मानना था कि ज्ञान का समाज के हर वर्ग में फैलना अतीत की शिक्षा का एक आदर्श था। धर्म ग्रन्थों और महाकाव्यों के अंशों का वाचन, भक्त ध्रुव, सीता वनवास, दानवीर कर्ण, सत्यवादी हरिश्चन्द्र, आदि नाटक (जात्रा) इसी उद्देश्य से किए जाते थे। यह उत्तम प्रकार की समाज शिक्षा थी। पर अंग्रेजी शिक्षा का लाभ अधिकांशतः नगरों तक ही सीमित रहा और शेष देश के असंख्य गाँव अशिक्षा, रोग और क्षय के अन्धकार में विलीन होते गए। इस स्थिति को सुधारना चाहिए। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टैगोर ने 1921 में शान्तिनिकेतन में 'यत्र विश्वम भवत्येकनीडम' (सारा विश्व एक घर है) के नए आदर्श वाक्य के साथ 'विश्व भारती विश्वविद्यालय' की स्थापना की। तभी से यह संस्था एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त कर रही है। अपनी विचारधारा को दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने विश्व का भ्रमण भी किया। वह अपने साथ अपनी अनेक अनुवादित कृतियों को भी ले गए, जिससे वह अनेकों दिग्गज कवियों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। उन्होंने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में अनेक व्याख्यान दिये। तत्पश्चात उन्होंने मैक्सिको, सिंगापुर और इटली जैसे अनेक देशों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुसोलिनी और आइंस्टीन जैसे राष्ट्रीय नेताओं और महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात की। 1927 में उन्होंने दक्षिण–पूर्व एशियाई दौरे की शुरुआत की और अपने ज्ञान और साहित्यिक कार्यों से कई लोगों को प्रेरित किया। रबीन्द्रनाथ टैगोर ने इन दौरों का उपयोग कई विश्व नेताओं के साथ भारतीयों और अंग्रेजी के बीच के मुद्दों पर चर्चा करने के अवसर के रूप में किया। उन्होंने पाँच महाद्वीपों में फैले लगभग तीस देशों की यात्रा की। विभिन्न देशों के लोगों द्वारा उनके कार्यों की प्रशंसा की गई और वह अंततः नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम गैर–यूरोपीय बन गए।

d'frRo: रबीन्द्रनाथ की रुचि अनेक क्षेत्रों में थी और उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए। यही कारण है कि वे एक महान कवि, साहित्यकार, गीतकार, चित्रकार और समाज सेवी के रूप में स्वयं को स्थापित कर सके। उन्होंने महज 8 वर्ष की आयु में पहली कविता लिखी और लगभग 16 वर्ष की आयु में पहली लघु कथा। उन्होंने कालिदास की शास्त्रीय कविताओं को पढ़कर प्रेरणा प्राप्त की और खुद भी शास्त्रीय कविताओं की रचना करने लगे। वह कठोर परिश्रम और अनवरत कार्य में विश्वास रखते थे, यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में दो हजार से अधिक गीतों की रचना की, एक हजार से अधिक कविताएं लिखीं, अनेक कहानियाँ, उपन्यास, नाटक तथा धर्म, शिक्षा, दर्शन, राजनीति और साहित्य सहित विविध विषयों पर अनेक लेख लिखे। अपनी रचनाओं के एक समग्र मूल्यांकन की दृष्टि से उन्होंने वह ऊँचाई हासिल की जिसे कुछ ही महान रचनाकार हासिल कर पाते हैं। परंपरागत और तत्कालीन समाज

की विसंगतियों और विडंबनाओं को चित्रित करते हुए उनके नाटक व्यक्ति और संसार के बीच उपस्थित समस्याओं को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनके कुछ साहित्यिक कार्य निम्न प्रकार हैं:

• लघु कथाएँ – रबीन्द्रनाथ ने अपनी किशोरावस्था से ही छोटी–छोटी कहानियाँ लिखना शुरु कर दिया था। उन्होंने अपने लेखन करियर की शुरुआत 'भिखारिनी' से की। उनके करियर के प्रारंभिक चरण के दौरान उनकी कहानियों ने उस परिवेश को प्रतिबिंबित किया जिसमें वह पले–बढ़े थे। उन्होंने अपनी कहानियों में गरीब आदमी के सामाजिक मुद्दों और समस्याओं को भी शामिल किया। उन्होंने हिंदू विवाह और कई अन्य रीति–रिवाजों के बारे में भी लिखा। 'घाटेर कथा', 'कंकाल', 'त्याग', 'प्रायश्चित', 'अध्यापक', 'उद्धार', 'संस्कार' और 'काबुलीवाला' उनकी कुछ प्रसिद्ध लघु कथाएँ हैं।

• उपन्यास – ऐसा कहा जाता है कि लोगों द्वारा उनकी कृतियों में उनके उपन्यासों को सबसे कम सराहा गया है। इसके कारणों में से एक कहानी कहने की उनकी अनूठी शैली हो सकती है, जिसे न केवल उनके समय के पाठकों, अपितु समकालीन पाठकों द्वारा ठीक से समझ पाना अभी भी मुश्किल है। उनकी रचनाओं में अन्य प्रासंगिक सामाजिक बुराइयों के बीच राष्ट्रीयता के आसन्न खतरों के बारे में बात की गई थी। उनके उपन्यास 'शेशेर कविता' के मुख्य नायक ने कविता और लयबद्ध तरीके के माध्यम से अपनी कहानी सुनाई। उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों में 'चोखेर बालि' 'नौकाडुबि', 'चतुरंग', 'घरे बाइरे', 'योगायोग' और 'चार अध्याय' शामिल हैं।

• कविताएँ – रबीन्द्रनाथ ने कबीर और रामप्रसाद सेन जैसे प्राचीन कवियों से प्रेरणा प्राप्त की थी और यही वजह है कि उनकी कविताओं की तुलना अक्सर शास्त्रीय कवियों की 15वीं और 16वीं शताब्दी की रचनाओं से की जाती है। लेखन की अपनी शैली अपनाकर उन्होंने लोगों को न केवल अपने कामों के प्रति, अपितु प्राचीन भारतीय कवियों के कामों पर भी गौर करने के लिए विवश किया। विश्व भर में प्रसिद्ध 'गीतांजलि' के अलावा 'चित्रा', 'कल्पना', 'सोनार तरी', 'क्षणिका' एवं 'भग्न हृदय' उनके कुछ प्रमुख कविता संग्रह हैं।

नाटकः रबीन्द्रनाथ ने अनेक नाटक, गीतिनाट्य एवं नृत्यनाट्य भी लिखे। 'प्रकृतिर प्रतिशोध', 'राजा और रानी', 'विसर्जन', 'नटीर पूजा', 'चित्रांगदा', 'अचसायत', 'राजा', 'डाकघर', 'चिरकुमार सभा', 'तासेर देश', 'शापमोचन' और 'वाल्मीकि प्रतिभा' आदि उनके प्रमुख नाटक हैं। इनमें से राजा और रानी (1889), विसर्जन (1890), डाकघर (1912), अचसायत (1912), नटीर पूजा (1926), चिरकुमार सभा (1926), शापमोचन (1931) आदि उनकी ऐसी नाट्य कृतियाँ हैं जिनका देश–विदेश के अनेक रंगमंचों पर अनगिनत बार मंचन हो चुका है। उन्होंने 'वाल्मीकि प्रतिभा', नाटक में मुख्य कलाकार का किरदार भी निभाया। यह नाटक पौराणिक डकैत वाल्मीकि पर आधारित था, जो बाद में अपनी जीवन–शैली में सुधार करता है और दो भारतीय महाकाव्यों में से एक, रामायण को कलमबद्ध करके महाकवि वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है।

रबीन्द्रनाथ टैगोर ने ड्राइंग और पेंटिंग तब बनानी शुरु की थी जब वह लगभग साठ साल के थे। उनके चित्रों को पूरे यूरोप में आयोजित अनेकों प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया था। टैगोर की शैली में सौंदर्यशास्त्र और रंग योजनाओं में कुछ ख़ासियतें थीं, जो इसे अन्य कलाकारों से अलग करती थीं। वह उत्तरी आयरलैंड के लोगों के शिल्पकार्य से प्रभावित थे। वह कनाडा के पश्चिमी तट के हैदा नक्काशियों और मैक्स पेचस्टीन के वुडकट से भी प्रभावित थे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में टैगोर की 102 कलाकृतियां हैं। रबीन्द्रनाथ टैगोर के कई उपन्यासों और लघु कथाओं पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा अनेक फिल्में बनाई गईं। अन्य फिल्म निर्माताओं ने भी पिछले कुछ वर्षों में उनके कामों से प्रेरणा ली और उनकी कहानियों पर अपनी फिल्में बनाईं। कुल मिलाकर उनकी 39 कहानियों पर विभिन्न निर्माता–निर्देशकों द्वारा फिल्में बनाई जा चुकी हैं और कुछ अन्य कहानियों पर टीवी धारावाहिक भी बनाए गए। अनेक देशों में उनकी कई प्रतिमाएँ लगाई गई हैं तथा हर वर्ष अनेकों वार्षिक आयोजनों में इस दिग्गज साहित्यकार को श्रद्धांजलि दी जाती है। विश्व भर में उनकी अनेकों कृतियों का अंतरराष्ट्रीय लेखकों द्वारा अनुवाद किया जा चुका है। उनके सम्मान में पाँच संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से तीन भारत में हैं, जबकि शेष दो बांग्लादेश में स्थित हैं।

गुरु–शिष्य संबंधों पर विचार करते हुए टैगोर ने आधुनिक किशोर की समस्याओं का सहृदयता से अध्ययन किया था और अपना दृढ़ मत व्यक्त किया था कि शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए जेल और मिलिट्री की बैरकों का कठोर अनुशासन काम नहीं दे सकता, यह तो अध्यापकों की प्रतिष्ठा पर भी आघात होगा। विद्यार्थियों से यह आशा करना ही गलत है कि वे अध्यापकों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी सामंत के दरबारी करते हैं। रबीन्द्रनाथ टैगोर का विष्वास था कि शिक्षा में आदान–प्रदान की प्रक्रिया यदि पारस्परिक सम्मान की भावना से युक्त हो तो अनुशासन की समस्या स्वयमेव सुलझ जाएगी। यही नहीं, रबीन्द्रनाथ टैगोर बंगाली साहित्य के साथ ही मानवता के प्रति लोगों का नजरिया बदलने में सफल रहे थे और लोगों के दिलो–दिमाग में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। इसी प्रकार रबीन्द्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित उनके गीत मानवीय भावनाओं के विभिन्न रंग पेश करते हैं। इस प्रकार, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई, गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर के नाम से सदा–सदा के लिए अमर हो गया।

वैश्वीकरण पर संरक्षणवाद का साया

डॉ. शशि बाला*

व्यापार और मानव सभ्यता का विकास एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। व्यापार का प्रभाव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे – सिन्धु घाटी, मैसोपोटैमिया, नील और चीन, सभी का विकास व्यापार का केन्द्र होने के कारण ही हुआ। व्यापार से सभ्यताएँ बनी भी हैं और व्यापार में संरक्षणवाद या फिर दूसरों के व्यापार पर आधिपत्य बनाने के कारण सभ्याताओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े हैं।

प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध का कारण भी विश्व की आर्थिक मंदी ही थी। दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के साथ ही नये आर्थिक संगठनों जैसे विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, का जन्म हुआ और इनका कार्य विश्व व्यापार में विसंगतियों को हटाना था। परन्तु इस संगठन को अमेरिका ने नहीं माना और यह धीरे–धीरे आज अपनी प्रासंगिकता खो बैठा है।

गैट (GATT) ही एकमात्र ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था थी जो 1946 से 1995 तक कार्य करती रही। 1980 के दशक के अंत तक व्यापार की निगरानी, व्यापार के विवादों को हल करने के लिए एक बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की माँग की जाने लगी। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए कई वार्ताएँ हुईं, इनमें उरुग्वे व्यापार वार्ता मुख्य है। उरुग्वे वार्ता के परिणामस्वरूप ही विश्व व्यापार संगठन (डब्लु.टी.ओ.) नामक संस्था का आगमन 1995 में हुआ।

विश्व व्यापार संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम निर्धारित करना तथा उनको लागू करना,
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों को हल करना,
3. व्यापार के उदारीकरण के लिए बातचीत और निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करना,
4. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना,
5. वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग करना,
6. विकासशील देशों के साथ सहयोग करना, और
7. विकासशील देशों को पूरी तरह से वैश्विक व्यापार प्रणाली से लाभ उठाने में मदद करना।

* *फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

1985 में सोवियत संघ के कमजोर होने के साथ ही दुनिया एक खेमे की ओर अग्रसर हो रही थी। यही कारण है कि 1995 में डब्लु.टी.ओ. की स्थापना हुई। इसके मूल में भी पश्चिम देशों की अपनी मजबूरी ज्यादा थी। वह अपनी मंदी से निकल कर दुनिया के दूसरे बाजारों में अपना सामान बेचना चाहते थे।

दुनिया धीरे–धीरे आपसी नजदीकियों की ओर बढ़ रही थी। व्यापार के नये बाजार खुल रहे थे। चीन ने भी अपने यहाँ तेजी से कारखाने लगाये और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गयी। भारत ने भी सर्विस सेक्टर तथा सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी में तेजी से प्रगति की। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया और दुनिया के सभी देशों में अपने तकनीकी कौशल की धाक जमाई। इसके चलते दुनिया के कई देशों में ऐसी भावनाएँ भी जागने लगीं कि उनकी नौकरियाँ एशियाई मूल के लोग ले रहे हैं।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का 2016 में राष्ट्रपति बनना हो या फिर ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने का निर्णय, यह सब वैश्वीकरण (ग्लोबलाईजेशन) का ही परिणाम था।

आज अमेरिका के राष्ट्रपति संरक्षणवाद की ओर बढ़ने की नीति अपना रहे हैं। हो सकता है कि वह कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे देशों के कुशल कर्मियों को रोक कर अपने देश की जनता को यह समझाने में कामयाब हो जाएं कि वह उनके बारे में कितने चिंतित हैं। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं। इनके अपने उद्योगों को सस्ती लेबर (श्रमिक) नहीं मिल पायेगी जिससे इनका उत्पाद महंगा होगा और वह दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रहेगा। दूसरा, उन्हें ज्यादातर सामान अपने यहाँ पर ही बेचना होगा, जिसका मतलब है कि इनके अपने ही देश के लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। वैश्वीकरण के दौर में दूसरे देशों से आने वाले सामान पर ड्यूटी (शुल्क) लगानी होगी जिससे कि वह महंगा हो जाए। इसके परिणामस्वरूप दूसरे देश भी अमेरिकी सामान पर शुल्क लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दुनिया फिर से धीरे–धीरे संरक्षणवाद के दौर में जा रही है। इसका परिणाम यह होगा कि विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएं अपना अस्तित्व खो देंगी।

पिछले एक साल में अमेरिका ने चीन से आयातित 200 अरब डालर के सामान पर टैक्स लगाये जिसके बदले में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर टैक्स लगा दिया। अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात जैसे एल्युमीनियम और स्टील इत्यादि

पर आयात कर लगा दिया। इसके बाद भारत ने भी कुछ अमेरिकी सामान पर आयात कर लगा दिया। इस वर्ष अमेरिका ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) की सूची से बाहर कर दिया।

भारत को अमेरिकी बाजार के मुकाबले यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स देशों, साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ अपने व्यापार को अधिक केंद्रित करना चाहिए। भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (निर्माण क्षेत्र) की ओर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इससे न केवल हमारा आयात कम होगा, अपितु यहाँ पर हमारे कुशल श्रमिकों को कार्य करने के मौके भी प्राप्त होंगे।

हमारे देश में भी बहुत से नेता यह नारा देते नहीं थकते कि हमारे पास सस्ती लेबर (श्रमिक) है और यही हमें अगली शताब्दी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब होगी। लेकिन वह यह नहीं बता पाते कि इस लेबर के कितने हिस्से (प्रतिशत) को आप कार्य दे सकते हैं। बिना कार्य के यह जनता आपकी अर्थव्यवस्था पर सिर्फ बोझ ही बनी रहेगी।

हम यह सोचकर खुश नहीं हो सकते कि हमारे तकनीकी युवा बाहर के देशों में सस्ते श्रमिक की तरह कार्य करके अपना जीवन व्यतीत करें। उन देशों के नागरिक भी धीरे–धीरे कम लाभ वाली नौकरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले सऊदी अरब में कुछ लोगों ने अपने घूमते रेस्टोरेन्ट खोले, जबकि कुछ साल पहले तक यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि सऊदी अरब का कोई आदमी इस प्रकार के कार्य करेगा।

हम अपने यहाँ लेबर सस्ती होने या लेबर का शोषण करने वाले चन्द क्रोनी कैपिटलिस्ट को दुनिया के नक्शे पर दिखाने से विकसित देश नहीं बन सकते। हमें जल्द ही अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा चाहे वह जनसंख्या नीतियाँ हों या फिर अपने यहाँ पर श्रमिकों के लिए बनी नीति हो।

संरक्षणवाद से न हम दुनिया से गरीबी हटा सकते हैं और न ही अनियमितताएँ। हमें अर्थव्यवस्था के रास्ते ही दुनिया को करीब लाना होगा। अगर इसका इस्तेमाल सही ढ़ंग से किया जाये तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया में देशों की सीमाओं की आवश्यकता ही न पड़े, दुनिया एक कुटुम्ब की भांति रहे।

हाहाकार

डॉ. पूनम एस. चौहान*

इस रंग–रंगीले भारत में चारों ओर,
बलात्कार का हाहाकार।
दिल नहीं है कुछ पुरुषों के सीने में,
नन्हीं कलियों और नारियों का,
सुनाई देता चीत्कार।

नारी का सम्मान चीर–चीर हो रहा,
उसकी अस्मत कौड़ियों के भाव बिक रही।
बलात्कारी मनमानी कर रहा,
समाज की सुरक्षा बेड़ियाँ ज़ार–ज़ार हो रहीं।

समझ कर नन्ही बच्चियों को खिलौना,
समाज के वहशी दरिन्दे।
लूट कर उन्हें, तोडते उनका सपना सलोना,
कलुषित वासना के भूखे दरिन्दे।
रक्त रंजित बच्चियाँ पहुँची मौत के कगार पर,
तन–मन से आहत मासूम ये,
बच्चियाँ बैठी हैं असीम पीड़ा के अंगार पर।

बाज़ार में हर चीज का दाम है,
पर नारी की इज्जत सस्ती है।
अखबार की सुर्खियों में बलात्कार की चर्चा आम है,
हर युग में नारी ही तो बिकती है।

रामायण में सीता जी का वन गमन,
महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण।
पति शाप से अहिल्या बनी पाषाण ,
हर युग में नारी ने ही दिया इम्तिहान।

होती जहाँ नारी की पूजा,
होता वहीं ईश्वर का वास।
कलयुग में मिथ्या है ये दार्शनिकता,
नारी मात्र चीज़ है, अब ऐसी है मानसिकता।

पब्लिक का उबलता आक्रोश,
कंपकंपाती कुछ हद तक सरकार को।
कुछ समय तक रहता है जोश,
भूलते जाते फिर सभी उस केस को।

वीभत्स और जघन्य है ये अपराध,
बलात्कारी क्षमा का नहीं है पात्र।
उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं,
पब्लिक के सामने उसकी हो क्रूर हत्या,
बस ये ही है उस वहशी की सजा मात्र।

* *भूतपूर्व वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

राजभाषा सम्मान

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों में वर्ष 2017–18 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नौएडा द्वारा 31.01.2019 को गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल जुबिली टावर, सैक्टर–1 नौएडा में आयोजित 37वीं बैठक में f}rh; ijLdkj से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार ग्रहण करते हुए संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास, श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्वावधान में दिनाँक 10.12.2018 को गेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सैक्टर–16ए, नौएडा में आयोजित आशु–संभाषण प्रतियोगिता में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नराकास, नौएडा की 37वीं बैठक में उक्त प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एसोसिएट फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

लिंग, कार्य और देखभालः रोजगार कानूनों एवं नीतियों का पुनरावलोकन

डॉ. एलीना सामंतराय*

वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता में गरीबी और असमानता एवं अन्याय से निपटने पर फोकस किया गया है। एसडीजी सं. 5 का उद्देश्य 'लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना' है और इसमें महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। समावेशी एवं सतत औद्योगिक विकास के लिए महिलाओं की आर्थिक क्षमता का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है। हालांकि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की नवीनतम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2017 में दर्शाया गया है कि भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में वर्ष 2016 में 87वें स्थान से 21 स्थान नीचे खिसककर 108वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा, भारत आर्थिक अवसरों एवं भागीदारी के मामले में 145 देशों में 137वें स्थान पर है जो महिलाओं की आर्थिक संसाधनों तक पहुंच और श्रम बाजार में भागीदारी पर कई सवाल खड़े करता है।

महिलाओं की श्रम बल में कम होती भागीदारी और घरेलू कार्यों में हो रही वृद्धि को देखते हुए महिलाओं की स्थिति की गहन जांच करना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रीय रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी जो वर्ष 2004–05 में 126.49 मिलियन थी, घटकर वर्ष 2009–10 में 106.2 मिलियन और पुनः घटकर वर्ष 2011–12 में 103.6 मिलियन रह गयी, शहरी क्षेत्रों में इसमें मामूली सी वृद्धि देखी गई। यह वर्ष 2009–10 में 24.2 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 28.8 मिलियन हो गयी। इसी दौरान, घरेलू कार्यों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की घरेलू कार्यों में भागीदारी 2004–05 में 53 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 62 प्रतिशत हो गई जबकि शहरी क्षेत्रों में 2004–05 और 2010–11, दोनों वर्षों में यह 65 प्रतिशत रही। भारत में अवैतनिक कार्य के कार्यसमय में महिलाओं और पुरुषों के बीच प्रतिदिन औसत मिनट में सबसे अधिक अंतर, 300 मिनट का है (वैश्विक लैंगिक अंतराल, 2014)। सवेतन एवं अवैतनिक दोनों तरह के देखभाल कार्य का असमान वितरण, लिंग और वर्ग असमानता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा दूसरों की देखभाल में अपना समय एवं ऊर्जा लगा देने के कारण उन्हें उनके शिक्षा, सवेतन रोजगार, अवकाश एवं मनोरंजन के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है तथा श्रम बाजार के निचले स्तर के क्षेत्रों तक सीमित कर दिया जाता है[1]।

हालांकि भारत में बड़ी चुनौती बढ़ती अनौपचारिक अर्थव्यवस्था तथा अनौपचारिक सैक्टर में महिलाओं का संकेंद्रण है। इन चुनौतियों के मद्देनजर, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 2017 में हालिया संशोधन वास्तव में महिला श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक सकारात्मक कदम है। लेकिन भारत में महिलाओं के सामने अनगिनत अदृश्य बाधाएं हैं जो उन्हें सवेतन रोजगार में भागीदारी करने से रोकती हैं। इस तरह की अदृश्य बाधाएं सामाजिक ताने–बाने में गहराई से अंतर्निहित होती हैं, जो अत्यधिक देखभाल के बोझ एवं घर के अंदर असमान लैंगिक संबंधों में परिलक्षित होती हैं। महिलाओं को पारंपरिक देखभालकर्ता के तौर पर देखा जाता है और इस कारण वे सवेतन कार्य और अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्य, दोनों कार्यों की जिम्मदारियां निभाने में खुद को बढ़ते दबाव में पाती हैं।

यद्यपि विकसित देशों के नीतिगत एजेंडों में देखभाल के सवालों पर अधिक ध्यान दिया गया है, फिर भी, ऐसे सवालों का विकासशील देशों के संदर्भ में भी समाधान किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इन देशों में महिलाएं अक्सर

* *फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*
बीरेंद्र सिंह रावत वरिष्ठ हिंदी अनुवादक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा अनूदित

1 विवरण हेतु कृपया निम्न साईट पर जाएं: http://www.unrisd.org/unrisd/website/projects.nsf/(httpProjects)/68C859D4A2AD6C5DC1257F7A0034FC56?OpenDocument

असुरक्षित रोजगार में लगी रहती हैं और उनके लिए काम के अच्छे अवसरों की कमी होती है। इस तरह की पहल असमानता के मुद्दे को दूर करने और व्यापक मानव विकास के नजरिए से 'देखभाल अधिकारों' की रक्षा में योगदान करेगी। यह भारत के संदर्भ में सही है जहां महिलाएं बड़ी संख्या में अनौपचारिक, असुरक्षित रोजगार में लगी हैं और इन रोजगारों में पर्याप्त सामाजिक संरक्षण का अभाव होता है। इस संदर्भ में, देखभाल की नीतियों पर पुनर्विचार करने और छोटे बच्चों के साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए राज्य प्रायोजित देखभाल शुरु करने की तत्काल आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं सहित देखभाल सुविधाओं, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के दायरे में अनौपचारिक श्रमिकों को शामिल करना, को मजबूत करने की दिशा में धन के आबंटन की आवश्यकता है। मातृत्व अवकाश की नीतियों से आगे बढ़कर माता–पिता के लिए अवकाश की नीतियों को प्रोत्साहित करना घरेलू अवैतनिक कार्यों और देखभाल के पुनर्वितरण में योगदान कर सकता है। रोजगार कानूनों में देखभाल का समावेश महिलाओं को श्रम बाजार में भागीदारी जारी रखने में सक्षम बनाएगा।

'जय हिंद की सेना'

बीरेंद्र सिंह रावत*

जय हिंद, जय हिंद की सेना।
जय हिंद, जय हिंद की सेना।।

युद्ध और आतंक की वजह से
शहीद हुए असंख्य जवानों
और पुलवामा के वीर शहीदों के
बलिदान को व्यर्थ न जाने देना
जय हिंद, जय हिंद की सेना।
जय हिंद, जय हिंद की सेना।।

भारत के अद्भुत लड़ाकों ने
ईजाद किया अद्भुत ही तरीका
घुस करके पाक के हलक तक
भनक कुछ भी न लगने देना
जय हिंद, जय हिंद की सेना।
जय हिंद, जय हिंद की सेना।।

मृतात्माओं की परम शांति हेतु
क्या खूब लड़ाकों ने सोचा कि
सबसे अच्छा होगा तेरहवें दिन
सब आतंकियों की आहुति देना
जय हिंद, जय हिंद की सेना।
जय हिंद, जय हिंद की सेना।।

यह जमाना है ही कुछ ऐसा कि
सामान्य का मोल समझ न आवे
हे भारत माँ के पराक्रमी वीरो
दुश्मनों को सरप्राइज देते रहना
जय हिंद, जय हिंद की सेना।
जय हिंद, जय हिंद की सेना।।

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

नई सरकार का एजेंडाः सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध एवं सर्वसमावेशी भारत

राजेश कुमार कर्ण*

वर्ष 2014 में निराशा, अस्थिरता, अनिश्चितता के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए देश के लोगों ने तीन दशकों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी। राष्ट्रीय फलक पर 'अच्छे दिन', 'सबका साथ सबका विकास' एवं 'सशक्त भारत' के वादे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का उदय हुआ। इन शब्दावलियों ने मतदाताओं पर मोहक असर डाला, जो भ्रष्टाचार से लड़ने की एक मजबूत इच्छाशक्ति वाले नेता के लिए बेकरार थे। उस अपार जनादेश का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने प्रथम कार्यकाल के पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन एवं भ्रष्टाचार से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बिना भेदभाव के सभी जरुरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य से एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। वर्ष 2014 से 2019 के दौरान लोगों की आवश्यक जरूरतें पूरी करने का प्रयास किया गया। इस सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद देशवासियों ने दूसरी बार और भी ज्यादा समर्थन दिया। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। दूसरे कार्यकाल में लोगों की असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का लक्ष्य एवं संकल्प है। बहुत से काम अधूरे रह गए थे जिन्हें अब पूरा करना है।

लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण वादे किए जिनमें वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, हर गरीब को पक्का मकान, सबके घर बिजली, सबके घर शौचालय, सबके घर पेयजल, स्वच्छ गंगा, निर्यात दोगुना करने, सभी रेल पटरियां ब्रॉडगेज करने, सभी रेल लाइनो का विद्युतीकरण करने, किसानों और छोटे दुकानदारों को 60 की उम्र के बाद पेंशन, सरकारी क्षेत्र में महिलाकर्मियों की संख्या बढ़ाने, एक देश एक चुनाव, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को सुनिश्चित करने तथा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 एवं 35ए

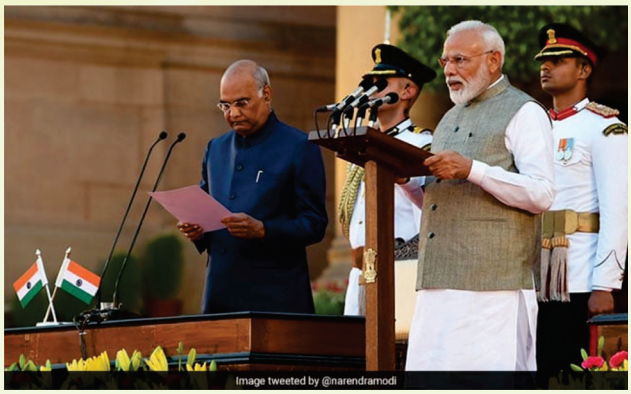

समाप्त करना आदि शामिल थे। मोदी जी के अनुसार राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अन्त्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना ही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के अनुरूप सरकार किए गए वादों को पूरा करने के लिए 30 मई 2019 को शपथ लेने के साथ ही पहले दिन से ही मिशन मोड में जुट गई है। प्रथम कार्यकाल में सरकार द्वारा किए गए प्रयास एवं उपाय अब और अधिक तेज विकास के लिए ठोस बुनियाद उपलब्ध कराएंगे।

प्रधानमंत्री जी हमेशा अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं और फिर उसके कार्यान्वयन में लग जाते हैं, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। लक्ष्य तक पहुंचना है, बस यही धुन रहती है। पाँच साल बाद उन्होंने अपने विजन– 'सबका साथ, सबका विकास' का विस्तार करके 'सबका विश्वास' इसमें जोड़ा है। यह न सिर्फ मार्गदर्शक मंत्र है बल्कि काम करने का एजेंडा भी है जिसका फायदा सभी भारतीयों को तेजी से मिल रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं मुसलमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से हाशिए पर हैं, उन्हें उदारीकरण का भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री जी सर्वसमावेशी विकास के रास्ते से पिछड़े वर्ग, दलित के अलावा मुस्लिमों के मन से भय हटाकर और विकास करके यह लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। स्वतंत्रता के बाद की सरकारें अमीर–गरीब, शहर–गांव, कृषि–उद्योग, जैसे अनेक विरोधाभासों से ग्रस्त रहीं तथा ये भ्रामक द्वंद्व देश के विकास में बाधा बन गए। किंतु प्रधानमंत्री जी ने तत्काल इन द्वंद्वों को खत्म

* *आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

किया। अमीर और गरीब की खाई को पाटकर सबको एक साथ लेकर चलने की नीति उनके इस कथन से स्पष्ट होती है कि देश में सिर्फ दो वर्ग हैं, एक गरीब और दूसरा गरीबी हटानेवाला।

प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सरकार बहुमत से आती है लेकिन देश सबको साथ लेकर चलाना होता है। एक नई कल्पना 'प्रादेशिक अस्मिता और राष्ट्रीय महात्वाकांक्षा' का नया नारा उन्होंने गढ़ा है। सहकारी संघवाद की व्यवस्था और भावना को निरंतर मजबूत बनाते हुए सरकार राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों को साथ लेकर चल रही है। एक बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने दिया– 'सत्ताभाव नहीं सेवाभाव चाहिए' और सेवाभाव में 'वी.आई.पी.' कल्चर को खत्म करना है। समाज के साथ व्यवहार करते समय 'ममभाव और समभाव चाहिए। सबको एक नजर से देखें और सबके साथ ममत्व से सारा व्यवहार हो यह उनकी कल्पना है। प्रधानमंत्री जी का जोर जनभागीदारी पर है। सरकार के सभी कार्यक्रमों में जनभागीदारी हो, समाज सरकारी योजना को अपनाकर उसके सही अमल के लिए जागरूक रहे, यह उनकी कल्पना है। बेशक मोदी जी का विजन सर्वसमावेशी, बहुसांस्कृतिक एवं 21वीं सदी की भावनाओं को समझने वाली है। वे व्यक्तिगत तौर पर सभी मंत्रालयों को एक दिशा प्रदान करते हैं और फिर कर्मठ मंत्री योग्य नौकरशाहों की सहायता से उसे लागू करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने सरकारी कार्यकुशलता में बेजोड़ सुधार हासिल किया है। शीर्ष अधिकारी आज चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री जी की बताई दिशा के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करें। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का रिकार्ड उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय है।

भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने जून 2019 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण के दौरान सरकार की प्राथमिकता, संकल्प एवं प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उनके अनुसार ''मेरी सरकार राष्ट्र–निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है, जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है।''

इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने जवानों, किसानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं एवं समाज के अन्य वर्गों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही, कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है।

jk"Vªh; lqj{kk

नई सरकार के पहले फैसले से पता चलता है कि हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देने वाले हमारे वीर एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हैं। राष्ट्रीय रक्षा कोष के अंतर्गत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्तियों में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है तथा इस योजना का विस्तार पुलिस के उन अधिकारियों के बच्चों के लिए किया गया है जो आतंकवादी या नक्सली हमलों में शहीद हो गए। आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का काम जारी है। सरकार मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक अस्त्र–शस्त्र, तोप, टैंक, लड़ाकू जहाज भारत में ही बनाने पर बल दे रही है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हुए इन रक्षा उपकरणों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने तीनों सुरक्षा बलों में बेहतर समन्वय एवं उनकी क्षमताओं में और पैनापन लाने के उद्देश्य से तीनों सेनाओं के लिए 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' का पद सृजित करने का फैसला लिया है। यह सैन्य सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

tEe&d'ehj ls vuqPNsn 370] 35, dh lekfIr

सरकार जम्मू–कश्मीर के विकास तथा नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल देने एवं विकास के लिए आवश्यक हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370, 35ए को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख को दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही 'एक देश एक निशान एक विधान' का सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटलजी और करोड़ों देशभक्तों का सपना साकार हुआ। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के ऋणी रहेंगे। इन अनुच्छेदों से जम्मू–कश्मीर को अभी तक हानियां तो बहुत हुईं पर कोई लाभ नहीं हुआ। इन विभेदकारी अनुच्छेदों ने वहां के वंचित, दलित, पिछड़े तबके एवं महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। अब वहां के लोग

उन सभी अधिकारों एवं सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्र के नागरिकों को मिलती हैं। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। आरटीआई से जनहित की सूचनाएं मिल सकेंगी। वंचित लोगों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिलेगा। तत्काल तीन तलाक जैसे अभिशाप समाप्त होने से वहां की महिलाएं भी न्याय के साथ भयमुक्त एवं गरिमामयी जीवन जी सकेंगी वे आठ लाख लोग जो 1947 में पाकिस्तान से बतौर शरणार्थी आए थे और बेचारगी के माहौल में बिना नागरिकता के गुजर–बसर कर रहे थे, अब उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही लाखों विस्थापित कश्मीरी पंडितों एवं शियाओं की आवाज भी सुनी जाएगी।।

इन दोनों अनुच्छेदों के कारण कश्मीर देश की विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया जिससे वहां आतंकी एवं अलगाववादी शक्तियां फल–फूल रही थीं, कश्मीर की भारत से आजादी के पैरोकार मुखर होने लगे थे लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वहां अब तक 42000 लोग मारे जा चुके हैं। किंतु इस निर्णय के बाद अभी तक कोई बड़ी हिंसक वारदात नहीं हुई है जिससे साबित होता है कि कश्मीर चोला बदलने के लिए तैयार है। दिल्ली से कश्मीर घाटी के कस्बों तक फैला सरकारी तंत्र दिन–रात शांति एवं विकास के लिए जमीन तैयार करने में जुटा है। सरकार लोगों से संवाद बनाने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार वहां सुशासन एवं शांति स्थापित करने के साथ–साथ सरकारी खर्च में बढ़ोतरी, युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन, स्थानीय लोगों के बीच सदभावना का माहौल, वहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्शित करने तथा भारतीय उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सही मायने में मुकुट मणि जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख अब भारत एवं भारतवासियों का हुआ। सरकार ने कश्मीर और शेष भारत के बीच की दीवार गिराकर भारत की संप्रभुता को बल दिया है। 'मोदी है तो मुमकिन है' का दावा एक बार फिर सही साबित हो गया है। निश्चय ही इससे यहां आतंकवादियों और अलगाववादियों से निपटने में सहायता मिलेगी, शांति कायम होगी, अनिश्चितता–असुरक्षा–दरिद्रता दूर होगी, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, लोग अधिकार संपन्न होंगे, यह क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह भारत से जुड़ेगा और सही मायने में यह क्षेत्र धरती का स्वर्ग कहलाएगा।

lMd lqj{kk

ढ़ाई वर्षों से अटका मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद से पारित हो गया। इस विधेयक में यातायात उल्लंघन पर जुर्मानों में कई गुणा बढ़ोत्तरी के अलावा आरटीओ में भ्रष्टाचार रोकने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं की वजह से जान–माल की हानि के साथ–साथ देश की जीडीपी को 3% का नुकसान पहुंचता है।

miHkksDrk lqj{k.k

ग्राहक गुमराह न हों, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 संसद से पारित कराया गया जिसके दायरे में परंपरागत तरीकों के अलावा आज की आधुनिक ऑनलाइन सेल्स, टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी शामिल किया गया है। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून सभी तरीके के उत्पादों, सेवाओं एवं इसके भ्रामक विज्ञापनों पर लागू है। इससे उपभोक्ताओं का हित संरक्षित होगा।

Je lq/kkj

श्रम सुधार रोजगार पैदा करने और आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यंत जरूरी है। अभी श्रम और मजदूरी, बोनस, काम करने की स्थिति और औद्योगिक विवादों के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले राज्य और केन्द्र के 44 कानून हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने इन कानूनों को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने, फर्जीवाड़ा रोकने, बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं बेहतर कार्यान्वयन के लिए 44 कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिताएं बनाने का फैसला किया है। ये संहिताएं हैं– 1. न्यूनतम वेतन और कार्यगत सुरक्षा, 2. स्वास्थ्य एवं कार्यदशा, 3. सामाजिक सुरक्षा, तथा 4. औद्योगिक संबंध

न्यूनतम वेतन से संबंधित मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 संसद से पारित हो गया है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; भुगतान का अधिनियम, 1965; तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का विलय किया गया है। मजदूरों के हित में कई प्रावधान इस कानून में शामिल किए गए हैं। देश में कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी का प्रावधान कर लैंगिक भेदभाव को खत्म करने, समय पर मजदूरी देने एवं वेतन विसंगति की शिकायत करने की प्रक्रिया को सरल एवं दावा करने की समयसीमा को एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। इस कानून से लगभग 50 करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे। ये पहली संहिता है, अभी तीन संहिताओं के बिल लाए जाने शेष हैं।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपए की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन मुहैया कराने के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन' पेंशन योजना शुरू की गई है। असंगठित क्षेत्र में लगभग 42 करोड़ कामगार देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, वे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। श्रमिकों को पेंशन मिलने से उनके पूरे परिवार को एक आसरा

मिलेगा और उन्हें सुरक्षा का अहसास होगा। ईएसआईसी की सुरक्षा पात्रता सीमा भी हर महीने 15000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए कर दी गई है। सरकार ने ईएसआई कानून के अंतर्गत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंशदान की दर 6.5% से घटाकर 4% (नियोक्ता का अंशदान 4.75% से घटाकर 3.25% और कर्मचारी का अंशदान 1.75% से घटाकर 0.75%) कर दिया है। इससे 12.85 लाख नियोक्ताओं को हर साल लगभग 5000 करोड़ रुपए की बचत होगी तथा 3.6 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सभी मजदूरों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह तय की गई है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना (एनपीएस) को और उदार बनाया गया है। सरकार ने एनपीएस में अपने योगदान को 10% से बढ़ा कर 14% कर दिया है।

Ekfgyk l'kfDrdj.k

देश की प्रगति और समृद्धि में महिलाओं को समान रूप से भागीदार बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दंड अधिक सख्त बनाए गए हैं और इन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है। उद्योग और कॉरपोरेट क्षेत्र के सहयोग से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बजट में 'नारी तू नारायणी' योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपए ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वयं सहायता समूह की हेड के लिए अलग से एक लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की गई है। तीन तलाक उन्मूलन, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि, मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे निर्णयों के माध्यम से भी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। शिक्षा, वित्तीय क्षमता, घर और कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा एवं सम्मान करने से महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है।

rhu rykd ij jksd

तमाम गतिरोध के बावजूद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 'तीन तलाक' बिल को पारित कराने की दिशा में प्रयास जारी रखा और अंततः कामयाबी मिली। तत्काल तीन तलाक को

अवैध ठहराए जाने के कानून बनने के बाद कई महिलाओं के टूटे घर फिर से आबाद होने लगे हैं। तीन तलाक संबंधी कानून मुस्लिम महिलाओं के हितों, अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान एवं गरिमायुक्त जीवन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। अब उनके लिए एक नए युग का आरंभ होगा और तुष्टीकरण और वोटबैंक की राजनीति के अंत की शुरूआत होगी। अब जब तीन तलाक जैसे सामाजिक कुप्रथा खत्म हो चुका है तो इन महिलाओं को और सशक्त किए जाने को लेकर समान नागरिक संहिता की जरूरत शिद्दत से महसूस की जाने लगी है। आखिर एक देश में एक ही काम के लिए अलग–अलग धर्मों/संप्रदायों के बीच अलग–अलग प्रावधान कैसे हो सकते हैं? हमारा संविधान सभी देशवासियों के लिए एक समान नागरिक संहिता की कल्पना करता है।

ty lja{k.k ,oa LoPN ih;ty

समय की मांग के अनुरूप सरकार ने जल संरक्षण, जल संचयन, जल प्रबंधन, पेयजल तथा जल संबंधी अन्य कार्यों को उच्च प्राथमिकता देते हुए इन सभी विभागों के लिए अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है जो सही दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पीने के पानी की उपलब्धता को नए भारत के लक्ष्य का अहम हिस्सा बताते हुए साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए के 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की है। जल जीवन मिशन के जरिए वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को 'हर नल से जल' यानी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 'जल शक्ति अभियान' के तहत 256 जिलों में जल की कमी से जूझ रहे 1592 प्रखंडों में जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी का भी आह्वान किया गया है।

Lk{ke vFkZO;oLFkk

आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही है। महंगाई दर कम है, चालू खाता घाटा एवं राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, एफडीआई तथा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में निरंतर सुधार हो रहा है। भारत को वैश्विक रूप से मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप हब बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है और अधिकांश मेड इन इंडिया उत्पादों का आज उन देशों में निर्यात हो रहा है जिनसे पहले भारत आयात किया करता था। हमें आयात शुल्क बढ़ाकर अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए ताकि उद्योग–व्यापार एवं रोजगार बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी पर बल देते हुए 'लकी कल के लिए लोकल' का आह्वान किया है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने और देश के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए इस क्षेत्र को नई तेजी

की जरूरत है। जीडीपी में वर्ष 2018–19 में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.2% है जिसे वर्ष 2022 तक 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत में श्रम सस्ता है, कुशल कामगारों की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बेहतर हो रहा है, विदेशी निवेश एवं घरेलू बचत के कारण पूंजी की कमी नहीं है, विस्तृत बाजार है, अमेरिका–चीन ट्रेड वार के दौर में कई विदेशी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में कारोबार लगाना चाहती है। ऐसी स्थिति में भारत के ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की उम्मीद जगी है। साथ ही, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश में 50 हजार स्टार्ट–अप स्थापित हों।

एमएसएमई को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अपने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर एमएसएमई के लिए एक करोड़ रुपए तक के ऋण की शुरूआत की है। इसके अलावा जीएसटी में पंजीकृत सभी एमएसएमई को नये या वृद्धि संबंधी ऋणों पर 2% ब्याज सब्सिडी देने के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू की है।

वैश्विक मंदी का विपरीत असर कम करने के लिए सरकार उद्योग–व्यापार की चिंताओं का समाधान करने के लिए सक्रिय हो रही है। सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में तरलता बढ़ाने, घरेलू और विदेशी निवेशकों पर बढ़े सरचार्ज को वापस लेने की घोषणा की है तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर के उल्लंघन पर जेल की सजा खत्म कर इसे सिविल शक्ल देकर जुर्माने तक सिमटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वेल्थ क्रिएटरों को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। वे देश की सेवा करते हैं और इसलिए सम्मान और प्रोत्साहन के हकदार हैं। अगर संपदा का निर्माण नहीं किया जाएगा तो उसे देश के गरीबों तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा और रोजगार की संभावनाएं भी नहीं बन सकेंगी। जीडीपी की दृष्टि से अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। चरमराई बैंकिंग प्रणाली के पुनरुत्थान, भ्रष्टाचार पर प्रहार के कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, कानूनों के सरलीकरण, जीएसटी आदि जैसे अनेक प्रयास व्यापार को सुगम बना रहे हैं और भारत आज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन कर वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब भारत का उद्योग जगत एवं श्रम जगत इसमें पूरे उत्साह के साथ बढ़–चढ़कर भागीदारी करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लक्ष्य बड़ा है, पर सब साथ मिलकर प्रयास करें तो इसे हासिल करना कठिन नहीं है। इसके लिए विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने राज्यों को निर्यात बढ़ाने, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने, मूलभूत ढ़ांचे के विकास में तेजी लाने, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं पर काबू पाने की रणनीति तैयार करने पर बल दिया है। वित्तीय सेवा सलाहकार एजेंसी ईवाई के अनुसार भारत को वर्ष 2024 तक पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार पांच वर्ष तक 9% की विकास दर हासिल करनी होगी तथा निवेश की कुल दर को जीडीपी के 38% तक ले जाना होगा। सरकार की प्राथमिकताओं को देखते हुए यह असंभव तो नहीं दिखता, लेकिन इसके लिए बड़ी कोशिशों की जरूरत होगी।

अर्थव्यवस्था की गति बाजार में मांग और निवेश पर निर्भर करती है। मांग तब बढ़ती है जब लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है। क्रयशक्ति बढ़ाने के लिए रोजगार बढ़ाने की जरूरत होती है। क्रयशक्ति बढ़ने से बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ता है और उत्पादन में गति आती है, इससे निवेशक भी आकर्षित होते हैं। रोजगार के नए अवसर पैदा करके इस दिशा में अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए दो समितियां गठित की गई हैं– इनमें से एक समिति विकास की रफ्तार और निवेश बढने पर ध्यान केंद्रित करेगी तो दूसरी समिति रोजगार, कौशल के विकास संबंधी उपायों पर सुझाव देगी। राजनीतिक स्थिरता के कारण आर्थिक और वित्तीय नीतियों में निरंतरता बने रहने की उम्मीद है।

आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में टैक्स व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीएसटी के लागू होने से 'एक देश, एक टैक्स, एक बाजार' की सोच साकार हुई। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ सरलीकरण पर भी बल दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की आय को कर–मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

dkyk /ku ij jkd

काला धन के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है जो उत्तरोत्तर तेज गति से आगे बढेगी। जिन लोगों ने विदेश में कालाधन जमा किया है, इसकी जानकारी सरकार को मिल रही है। आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

Lkq'kklu ij tkj ,oa Hkz"Vkpkj dh lekfIr

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमारा ध्यान सुशासन को उच्चतम स्तर पर ले जाने पर केंद्रित होना चाहिए। सुशासन को

बढ़ावा देने के लिए बच्चों, महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही सूचना के कानून में संशोधन, नियमन के बिना चलनेवाली बचत योजनाओं पर पाबंदी, बच्चों के खिलाफ अपराध पर अंकुश, आतंक पर कठोर प्रहार करने वाले यूएपीए कानून, मानव अधिकार को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए कानून एवं दिवालिया नियमों में बदलाव किया गया है।

'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन', 'ह्यूमन इंटरफेस' को कम करते हुए टेक्नॉलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग एवं लोकपाल की नियुक्ति तथा नियम 56जे के जरिए भ्रष्ट कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृति आदि के जरिए सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा रहा है। डीबीटी के तहत 400 से अधिक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। डीबीटी के परिणामस्वरूप अब तक डेढ़ लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई है उसके तहत वह राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक भ्रष्टाचार पर एक साथ प्रहार कर रही है। इसके परिणामस्वरूप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत की स्थिति चीन से बेहतर हो गई है। 180 देशों की सूची में चीन 87वें स्थान पर चला गया वहीं भारत 78वें स्थान पर पहुंच गया।

साफ–सुथरा प्रशासन शुरू से ही इस सरकार की 'यूएसपी' रही है। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए 'टॉप–डाउन मॉडल' अपनाया है। जब 'टॉप' अर्थात शीर्ष राजनीतिज्ञों और अधिकारियों पर लगाम लगेगी तो 'डाउन' अर्थात नीचे वाले अपने आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने सर्वप्रथम स्वयं अपने आचरण से एक भ्रष्टाचार–विहीन राजनीतिज्ञ का प्रतिमान पेश किया।

HkhM+ dh fgalk

भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं से आम जनता चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और सरकार को इस पर कानून बनाने के लिए कहा है। चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय है इसलिए उन्हें सक्रियता और सर्तकता का परिचय देना ही होगा। केन्द्र सरकार राज्यों पर इसके लिए दवाब बनाए कि वे ऐसे माहौल का निर्माण तत्परता से करें जिससे भीड़ मनमानी करने से भय खाए। जाति, धर्म की खाई को पाटकर, सदभाव एवं पुलिस की मुस्तैदी से भीड़ हिंसा जैसी घटनाएं रुकेंगी।

xkao dk fodkl

गांव के वास्तविक विकास का अर्थ वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से लैस करना है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पेयजल, बिजली आदि प्रमुख हैं। सरकार का ध्यान जीवन को सुगम बनाने पर केन्द्रित है। वर्ष 2022 तक सरकार ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार को बिजली और स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को 1.95 करोड़ से ज्यादा मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 97% गांव बारहमासी सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क संपर्क में सुधार से कृषि से गैर–कृषि रोजगार की तरफ रुझान बढ़ा है, आवागमन में सुधार हुआ है, आर्थिक अवसरों तक पहुंच बढ़ी है और विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। सूचना तकनीक के व्यापक विस्तार के क्रम में देश के 5.54 लाख गांवों को दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। भारतनेट परियोजना के तहत सभी ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया जारी है।

हमारे किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। किसानों के खेत तक हर नई तकनीक को पहुंचाना और उन्हें उपज का उचित व लाभकारी मूल्य दिलाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने फसलों की न्यूनतम खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला, जीरो बजट कृषि, हर खेत को पानी, फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी, फसल बीमा योजना का विस्तार, सॉयल हेल्थ कार्ड, यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग, ग्रामीण भंडारण योजना, ई–नाम और ई–ग्राम के माध्यम से एकीकृति कृषि बाजार को प्रोत्साहन तथा पारंपरिक उद्योगों के उत्थान को प्रोत्साहन आदि कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से कहा कि वे खेतों में रसायनिक खादों का इस्तेमाल कम करें। इससे न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है बल्कि भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है।

किसानों के लिए पशुधन बहुमूल्य होता है। जानवरों से जुड़ी बीमारी के इलाज के खर्च को कम करने के लिए सरकार ने 13 हजार करोड़ रुपए की राशि से एक विशेष योजना शुरु की है। डेयरी सहित कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी किसानों को लाभान्वित करने के लिए 10 हजार नए 'किसान उत्पादक संघ' बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है जिससे न सिर्फ किसानों को कम ब्याज दर पर सहायता मिल सकेगी और वह ऊंची दरों पर उपज बेच सकेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि कृषि सुधारों की गति उन तक जल्दी और प्रभावी रूप से पहुंच सके। इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' स्कीम की 500 रुपए

प्रतिमाह की सम्मान–राशि की पहुंच बढ़ाते हुए अब इसे देश के प्रत्येक अन्नदाता किसान के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसके लिए 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना' लागू की गई है। इस पेंशन स्कीम के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 3000 रुपए बतौर मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अपनी कृषि नीति को उत्पादन–केंद्रित रखने के साथ–साथ आय–केंद्रित भी बनाया है।

xjhch dk mUeyu

सरकार गरीब, वंचित और समाज के कमजोर वर्गों को जीवन की आवश्यक सुविधाओं, आवास, स्वास्थ्य, आर्थिक समावेश, शिक्षा, कौशल तथा स्वरोजगार के जरिए लोगों के जीवन–स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें सामाजिक–आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का गंभीर प्रयास कर रही है। करोड़ों लोग अति गरीबी रेखा से ऊपर उठ आए हैं, लेकिन देश में लगभग 7 करोड़ लोग अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं। जीडीपी के पांच ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचने के साथ ही हमारे देश में गरीबी में भारी कमी देखने को मिलेगी।

सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक कल्याण विकास बोर्ड का गठन करेगी जिसका मकसद गैर अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध–घुमंतू समुदायों के कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों को चलाना होगा। इससे अब उनके दिन सुधरेंगे।

देश के पिछड़े जिलों को विकसित करने के लिए 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' शुरू की गई है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें भारत के आकांक्षी जिले का नाम दिया है। सबसे पिछड़े 115 जिलों की स्थिति में बदलाव लाए बिना लंबे समय तक निरंतर उच्च विकास दर बनाए रखना संभव नहीं है। देश के चुने हुए 115 'आकांक्षी जिलों' के विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है।

LokLF; 0;oLFkk e l/kkj

50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करने वाली विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम 'आयुष्मान भारत' योजना लागू की गई है। इसका लाभ अब तक लगभग 27 लाख गरीब मरीजों को मिल चुका है। सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए 5300 'जन औषधि केंद्र' भी खोले जा चुके हैं। विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम 'इंद्रधनुष' पर सरकार का खास जोर है। बेशक, टीकाकरण कार्यक्रम पर किया गया एक रुपए का निवेश आगे जाकर 44 रुपए के बराबर लाभ देता है। वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण अंचलों में लगभग डेढ़ लाख 'हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर' स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। ये केन्द्र भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में स्वास्थ्य क्षेत्र भारत के भविष्य की अगुवाई कर सकता है। स्वास्थ्य ढ़ांचे को दुरुस्त करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ पौष्टिकता भी सरकार की प्राथमिकता बन गई है। सितम्बर 2019 से केन्द्र सरकार कुपोषण के खिलाफ देशव्यापी मुहिम चलाने जा रही है।

bZkLVDpj ij tkj

प्रधानमंत्री जी का यह कहना सही है कि भारतीयों की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। एक विकासशील देश में लोगों की आकांक्षाओं से ही संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। इसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत जरूरी है। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डों, जलमार्गों में लक्षित निवेश के जरिए तेजी लाई जा रही है। सड़क परिवहन दिनोंदिन बेहतर होता जा रहा है जिससे लागत कम होती जा रही है। राजमार्ग निर्माण की गति वर्ष 2013–14 में रोजाना 10 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 30 किलोमीटर हो गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान रोजाना 45 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का महात्वाकांक्षी लक्ष्य है। सरकार नए भारत के निर्माण के लिए देश के गांवों से लेकर शहरों तक विश्व–स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है। विशेषकर उत्तर–पूर्वी, पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने, विद्युतीकरण पर खास जोर दिया जा रहा है जिसका लाभ वहां के पर्यटन, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों को मिल रहा है।

jkstxkj d volj e of)

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नीति आयोग ने सरकार के लिए जो 100 दिनों का एजेंडा तैयार किया था उसमें सबसे ज्यादा तरजीह सरकारी क्षेत्र में खाली पदों को भरने एवं शिक्षा में सुधार को दी गई है। नए भारत के निर्माण में युवा पीढ़ी की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं

के कौशल विकास से लेकर, उन्हें स्टार्ट–अप एवं स्वरोजगार के लिए 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों से उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में पहले से अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले क्षेत्रों में समुचित नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जा रहे हैं। हमें नरेगा की तरह एक शहरी कार्यक्रम पर विचार करने की जरूरत है जो शहरी लोगों के लिए रोजगार की गारंटी दे सके।

भारत में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। भारत कला, सांस्कृतिक परंपरा, योग, आयुर्वेद और प्राचीन ज्ञान का स्रोत रहा है जिसे पाने के लिए दुनिया भर के लोग उमड़ रहे हैं। सरकार समुद्री पर्यटन को सक्रियता से प्रोत्साहित कर रही है इसके लिए लिए इमिग्रेशन सुविधाओं के साथ चार बंदरगाहों में विशेष क्रूज टर्मिनल शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। देश–विदेश के सैलानियों को आकृष्ट करने के लिए सरकार द्वारा पिछले एक–दो वर्ष में नीतियों एवं योजनाओं के जरिए पर्यटन क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार पर्यटक स्थलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, पार्किंग, पेयजल, कैफेटेरिया, वाई–फाई, को सुधारने पर जोर दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत में स्वच्छता कवरेज 39% से बढ़कर 95% हो गया है। जैसे–जैसे सरकारी योजनाएं असर दिखाएंगी, ये सुविधाएं सुधरेंगी और पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय तेजी आएगी।

पर्यटन, परिवहन, आईटी तथा अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है। ईपीएफओ, ईएसआई और एनपीएस के जरिए होने वाली रोजगार की गणना में नौकरियों में वृद्धि देखी जा सकती है। पेशेवर क्षेत्र में रोजगार की संख्या और भी बढ़ी है। इसलिए रोजगारविहीन विकास का सिद्धांत भ्रामक है। विकास दर बढ़ने से रोजगार में भी वृद्धि होती है।

x|.koÙkkiw.kZ f'k{kk

बच्चों की प्रतिभा को निखारने, उचित अवसर एवं वातावरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या को वर्ष 2024 तक डेढ़ गुना करने के लिए प्रयासरत है। दुनिया के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कई संस्थान अपना स्थान बना सकें, इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता तथा आर्थिक मदद के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया है जिसमें औपचारिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश करने, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चार–वर्षीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश की गई है। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति भारत के भविष्य का आधार बनेगी। सरकार ने 'स्टडी इन इंडिया' योजना को शुरू किया है जिसका मकसद विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आकर्षित करना है। योजना के तहत देश के उच्च संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा जिससे शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसे देश से प्रतिभावान छात्रों का पलायन रूकेगा, शोध को बढ़ावा मिलेगा और भारत को नॉलेज पावर बनाने का सपना पूरा होगा।

lcdk fy, vkokl

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री जी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय बजट में घोषणाओं, घर की खरीद पर जीएसटी दर में कटौती, होम लोन की दरों में लगातार गिरावट के कारण इस क्षेत्र में कुछ तेजी आई है। रेरा जैसे कानून से बेशक घर खरीदारों के हितों की कमोबेश रक्षा हो रही है।

tul[;k fu;=.k

जनसंख्या नियंत्रण की मार्मिक अपील करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है। अभिभावक अमूमन शिशु जन्म के बाद बच्चे के भविष्य की चिंता आरंभ करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बच्चे के जन्म के पहले ही चिंता करने की बात कही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युवाशक्ति हमारे लिए वरदान हैं, लेकिन यह भी सच है कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी कई तरह के असंतुलन और संसाधनों के लिए चुनौतियां लेकर आती है। बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध का सीधा संबंध बढ़ती आबादी से है। आबादी नियंत्रण के लिए एक व्यापक नीति बनानी ही होगी। हमारे शहर इस समय आबादी के बोझ से चरमरा रहे हैं। शहरों को सुव्यवस्थित बनाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है, इसलिए सरकार के एजेंडे में शहरों को सुव्यवस्थित करना होना चाहिए। शहरों की ओर लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए गांवों के हालात बेहतर बनाने होंगे।

?kqliB dh leL;k dk fujkdj.k

अवैध तरीके से भारत में विदेशियों के आने से देश के कई क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन तथा रोजगार के अवसरों के

समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (एनआरसी) की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाएगा। सरकार ने एनआरसी को देशभर में लागू करने से पहले उसका आधार तैयार करने के लिए सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। एक तरफ सरकार अवैध घुसपैठियों की पहचान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आस्था के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए परिवारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए नागरिकता कानून में भी संशोधन किया है।

24 ?kV fctyh

बजट में वित्त मंत्री ने वन नेशन, वन ग्रिड योजना की घोषणा की है जिसके तहत देश के हर घर को 24 घंटे एक समान दर पर बिजली मुहैया कराई जाएगी। बिजली कानून में संशोधन पारित और लागू करवाना सरकार के एजेंडे में है। इस एजेंडे के जरिए सरकार का लक्ष्य लोगों तक ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने का है। बेशक प्रतिस्पर्धा से बिजली वितरण कंपनियों की संचालन क्षमता और व्यावसायिक कामकाज में तेजी आएगी।

LoPN Ik;koj.k

प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के मुद्दे पर विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। बिजली की आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया जा रहा है। पेरिस समझौते के तहत सदी के अंत तक धरती का तापमान दो डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देने के सभी देशों के लक्ष्य को देखते हुए भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत कम करने की दिशा में प्रभावी कार्ययोजना को लागू किया है। भारत में 28 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के उल्लेखनीय प्रयासों से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। हमारे देश ने स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को वर्ष 2022 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जनवरी 2019 से देश के 102 शहरों में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (एनसीएपी) शुरू किया गया है। एनसीएपी के तहत वर्ष 2024 तक 102 शहरों में पीएम–10 व पीएम–2.5 के स्तर में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है। आबोहवा के लिहाज से खतरनाक स्तर पर पहुँच चुके देश के 102 शहरों में सरकार के वायु प्रदूषण रोधी कोशिशों का असर दिखने लगा है।

पर्यावरण को बचाने के लिए भारत ने लगातार अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है, चाहे वह पेरिस समझौते का पूरी तरह पालन करने का उसका वायदा हो, वर्ष 2022 तक सिंगल यूज वाले सभी प्लास्टिक से मुक्त होने का संकल्प हो, या उज्ज्वला योजना के तहत लाखों गरीब महिलाओं को गैस एवं गैस चूल्हा वितरित करने की महत्वाकांक्षी योजना हो या वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में वर्ष 2020 में वाहनों के लिए बीएस–4 से सीधे बीएस–6 मानक का ईंधन लागू करने का फैसला हो।

सरकार ने एक ऐसी परिवहन व्यवस्था का निर्माण किया है जिसमें गति एवं सुरक्षा के साथ–साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। रेल लाइनों के विद्युतीकरण के साथ–साथ सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल वाहनों के 30% को बिजली आधारित करने का लक्ष्य रखा है। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% करने के साथ–साथ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को डेढ़ लाख रुपए के ब्याज पर आयकर छूट देने की घोषणा की है। प्रदूषण मुक्त यातायात के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

प्लास्टिक हमारे वातावरण का हिस्सा बन गये हैं। वे हवा में हैं, पानी में हैं, नदी में हैं, और इन सबके चलते वे हमारे भोजन में भी हैं। ये मनुष्यों सहित सभी प्राणियों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्तूबर, 2019 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जन–आंदोलन चलाने का आह्वान किया है। वर्ष 2022 तक सिंगल यूज वाले सभी प्लास्टिक से मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है।

vrfj{k VDukykth dh {kerk e foLrkj

अंतरिक्ष टेक्नॉलॉजी की सहायता से जल, थल और नभ में हमारी सुरक्षा और मजबूत हुई है और समय पर मौसम का सटीक पूर्वानुमान, सही जानकारी और तैयारी के कारण बड़े पैमाने पर जान–माल की रक्षा करने

में देश को सफलता मिली है। मिशन शक्ति के तहत एंटी सेटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में मार करने की क्षमता हासिल करने वाले देशों में शामिल हो गया है। चंद्रयान–2 के सफल प्रक्षेपण से उम्मीद जगती है कि चंद्रमा पर उपस्थित बहुमूल्य खनिज यूरेनियम, टाइटेनियम आदि बहुमूल्य धातु हमारे काम आ सकते हैं। वर्ष 2022 तक भारत के अपने गगनयान में पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने के लक्ष्य की तरफ तेजी से काम चल रहा है।

jke tUeHkfe Ekkeyk dk fuiVkjk

सरकार के सामने राम जन्मभूमि मंदिर मामला निपटाने की चुनौती है। केन्द्र सरकार ने पहले ही अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर स्थित 67 एकड़ अविवादित भूमि मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। मंदिर के मामले की सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक दिन सुनवाई हो रही है। इससे उम्मीद जगी है कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा।

fonsk uhfr% u;h lkp u;h 'kfDr

नई सरकार की विदेश नीति (जिसे मोदी डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है) का लक्ष्य देशहित एवं जनहित में शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि सुनिश्चित करना है। खुद को प्रमुख राजनयिक साबित कर और विदेश मंत्री के रूप में पूर्व विदेश सचिव श्री एस. जयशंकर को चुनकर प्रधानमंत्री जी ने सही निर्णय लिया है। उम्मीद है कि दूसरे कार्यकाल में उनकी विदेश नीति की उपलब्धियां महत्वपूर्ण होंगी। पाकिस्तान तथा चीन के साथ भारत के संबंध कुछ तनावपूर्ण अवश्य हैं किंतु अन्य देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। सरकार विदेशों में बसे तथा वहां कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के प्रति सजग है।

आज पूरे विश्व में भारत की नई पहचान बनी है। आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक तौर पर भारत विश्व को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और साइबर अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाधन पर कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा आदि मुद्दों पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय ने समर्थन दिया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता हासिल करने को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर कई पहल किए जा रहे हैं। सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच समर्थन तैयार करने में जुटा है। वर्ष 2022 में भारत जी–20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

,d n'k ,d puko

नए भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 'एक देश, एक चुनाव' सरकार के एजेंडे में है क्योंकि यह उचित नहीं कि विकास और सुशासन आए दिन आदर्श चुनाव संहिता की बंदिशों में कैद रहे। यह देशहित में है। इससे समय एवं संसाधनों की बर्बादी रूकेगी एवं भ्रष्टाचार भी कम होगा। 'एक देश एक टैक्स', 'एक देश एक ग्रिड' और 'एक देश एक मोबिलिटी कार्ड' की व्यवस्था पहले ही शुरू हो चुकी है।

भारत के विकास की राह में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भष्टाचार जैसी कुछ चुनौतियां भी हैं जिस पर विजय पाने के लिए सकारात्मक दिशा एवं सोच के साथ काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी भारत की समस्याओं को जितना बेहतर समझते हैं, उतना ही उन्हें सुलझाने के लिए संकल्पबद्ध भी हैं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय का मंत्र 'हर समस्या का देशानुकूल और समयानुकूल समाधान किया जाना चाहिए' से वे प्रेरित हैं। उनकी जैसी राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। चाणक्य नीति का सूत्र 'कार्य पुरुष कारेण लक्ष्यं संपद्यते' अर्थात दृढ़संकल्प के साथ किया गया कार्य पूरा होता है और सरकार इसका पालन करती है। आम लोगों का समर्थन और सहभागिता मिलने से राजनेता की राजनीतिक इच्छाशक्ति फलीभूत होती है।

सरकार की साहसिक घरेलू एवं विदेश नीति के कारण देश में एक अच्छा माहौल बना है। भारत तरक्की की राह पर बढ़ चला है और अब उसके शिथिल पड़ने का सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि देश रिफार्म, परफार्म, ट्रांसफार्म और परमानेंट व्यवस्थाओं के साथ पक्के आधार के साथ देश चल पड़ा है, चलता रहेगा, मकसद को भी पूरा करेगा, मंजिल को भी प्राप्त करेगा। देश–विदेश के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का लोहा माना है एवं उनके प्रयासों को सराहा है। आवश्यकता इस बात की है कि देश के विकास और आम आदमी की समृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वधर्म समभाव और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उनके लिए राजधर्म है एवं वे इसका बखूबी पालन कर रहे हैं। सरकार ने अपने वादे पूरी करने के लिए एक समिति गठित कर दी है जो कुशलतापूर्वक अपना काम कर रही है। इससे मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध एवं सर्वसमावेशी भारत की उम्मीद बढ़ी है।

मेरी माँ

विकेश कुमार*

बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ
बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ
पर उस शख्सियत के लिए क्या लिखूँ
जो खुद भगवान से बढ़कर है मेरे लिए
क्या उसकी तारीफ करूँ
जो पूरी दुनिया है मेरे लिए

मेरी हर उलझन का समाधान है
हर तूफान का ठहराव है
हर खतरे का बचाव है
हर गम का इलाज है

हमेशा अपने सारे दुःख छिपा कर
हमारी मुस्कान है वो
अपनी हर परेशानी को छुपा कर
हमारा सहारा है वो

हिम्मत और हौसले की मिसाल है वो
हमारे परिवार की ढाल है वो
वो नहीं तो कुछ भी नहीं
हमारा एक सुंदर संसार है वो

अब और क्या लिखूँ और क्या कहूँ
और कोई नहीं मेरी माँ है वो
मेरी माँ है वो ।

* *कंप्यूटर ऑपरेटर, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

शिक्षा का व्यापार

रुचिका चौहान*

शिक्षा हमारे देश में हर किसी का मूल अधिकार है
पर आज ऐसा लगता है जैसे ये एक व्यापार है
शिक्षा के नाम पर विद्यालय नहीं फैक्ट्री खोली जाती है
जहां शिक्षा नहीं डोनेशन के नाम पर अपनी जेबें भरी जाती हैं

इसमें दोष उन फैक्ट्री के मालिकों का नहीं है
इसमें दोष हम अभिभावकों का है
जो आज पैसे के बल पर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं
सिर्फ और सिर्फ अँग्रेजी शिष्टाचार सिखाना चाहते है

आज कल हर दिन ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं
जो इंसानियत को रोज शर्मसार कर जाती हैं
कभी किसी बच्चे का शोषण किया जाता है
तो कहीं उस मासूम की जान ही ले ली जाती है

आज हमारा देश अंग्रेजी संस्कृति की तरफ आकर्षित है
और हमारी अपनी संस्कृति तो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है
आजकल अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और
हिन्दी को तो सिर्फ हिन्दी पखवाड़े में ही याद किया जाता है

मैं चाहती हूँ हम शिक्षा के नाम पर ये व्यापार बंद करें
अपनी मातृभाषा हिन्दी का सम्मान करें
अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी का भी मान करें
और शिक्षा के इस व्यापार को बंद करें
अपनी नई और सभ्य पीढ़ी का निर्माण करें

* *एडमिन एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

उसकी भूख

डॉ. पूनम एस. चौहान*

उसकी भूख
भरे पेट वालों को दिखती नहीं
भूख से सिकुड़ी अंतड़ियाँ
भोजन व्यर्थ करने वालों को दिखती नहीं।

वो अभावों मे पला
मन मार–मार जीता जाये
उसका जीवन अंधकार में ढला
सूरज की आस में जीवन बीता जाय।

म्युनिसिपलिटी के नल का जल पीकर
वह अपनी भूख मिटाता
फेंके हुए खाने को खाता
आँख मीच कर अपने पापी पेट को कोसता।

वो देखता टुकटुकी बांधे,
स्कूल जाते बच्चों को।
मन को मजबूरी के धागों से बाँधे,
दबाता जाता पढ़ने की इच्छा को।
वो माचिस के कारखाने में दिखा,
हर ढाबे, हर होटल में दिखा।
उसके नन्हे हाथ बुनते कालीन,
बचपन भुला काम में वो तल्लीन।

बिना गलती के खाता गालियाँ,
अपमान के घूँट पीकर रह जाता।
पापियों को मिलती हैं तालियाँ,
वो ज़ार–ज़ार अश्रुओं से भीग जाता।

समाज के ठेकेदारों ने,
लिखी उसके भाग्य में।
भूख, गालियाँ तिरस्कार के ताने–बाने,
बेबसी बस गई उसके जीवन में।

लाखों गरीबों के बच्चे,
भूख से पीड़ित, वस्त्र रहित।
बीमारियों से जुझते ये बच्चे,
हर सुविधा से वंचित।
वंचितों की कथा और व्यथा,
पहुँचती नहीं बहरे कानों में।
टूटेगी कब ये असमान व्यवस्था,
असंवेदनशील हृदयों को कब भेदेगी ये व्यथा।

उसकी भूख को,
अनदेखा करने वालो।
उसकी विवशता को,
अपने फायदों में बदलने वालो।
अब तो जागो कि तुमने,
ही उसे गरीब बनया है।
समय को समझो और चेतो,
रौंद कर उसे, अपना महल बनाया है।
लूट का बाज़ार बन्द करो,
उसे उसका हक देने का काम करो।
नहीं तो वक्त निकल जायेगा,
जिसे रौंदा तुमने,
वो तुम्हें रौंद कर आगे निकल जायेगा।

* *भूतपूर्व वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

श्रमदान करता हूँ

विनीता मिश्रा*

श्रमदान किया मैंने हर पल
किए कई निर्माण अजर
मैं भूखा सोया पानी पीकर
फिर भी खड़ा मैं फावड़ा लेकर।

योजनाएँ कई, कई लाभ भी हैं
मेरे कल्याण के लिए व्यवस्थाएँ भी हैं
फिर भी हूँ परेशान बहुत
श्रम के बाद भी आसान नहीं जीवन मेरा।

अशिक्षा, बेरोजगारी, असुरक्षा का मारा हूँ
सामाजिक सुरक्षा से सुधर जाता जीवन मेरा।

इसमें दोष किसे मैं दूँ, जानकारी किससे मैं लूँ
स्वयं दोषी हूँ दूसरों को दोष क्यों दूँ
मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ अपनी स्थिति के लिए
निर्माण करूँ जिम्मेदार बन परिवार के प्रति
स्वयं के लिए, वतन के लिए श्रमदान करूँ मैं
क्योंकि मैं श्रमिक हूँ, श्रमदान करता हूँ।

** प्रतिभागी– 'असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा' पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः 25–27 मार्च 2019*

मैं तो मजदूर हूँ

फणीश सिंह कुशरे 'सुर'*

मैं एक आम नागरिक हूँ
मैं तो मजूदर हूँ।

रोटी कपड़ा मकान के लिए
जूझ रहा, मैं तो मजदूर हूँ
पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ
ज्यादा, मैं तो मजदूर हूँ।

कभी परिस्थितियों का मारा
तो कभी जीवन की जटिलताओं
के कारण स्वास्थ्य से अनभिज्ञ हूँ
मैं तो मजदूर हूँ।

अशिक्षा के कारण मेरे लिए
काला अक्षर भैंस बराबर है
सामाजिक सुरक्षा से अनजान
मैं तो मजदूर हूँ।

** प्रतिभागी– 'असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा' पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः 25–27 मार्च 2019*

जिंदगी की राह

कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आम तौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूं, कल 8 बजे ही चला आया।

सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूंगा, फिर कहूंगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले, हम ऐसा करते थे।

घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूं। मैं मेल चेक करने लगा, कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई, तो मैं चाय पीता हुआ दुकान के काम करने लगा।

अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठ कर बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊंगा, पर कब 8 से 11 बज गए, पता ही नहीं चला।

पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया, मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खा कर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गप करेंगे। पत्नी खुश हो गई।

हम खाना खाते रहे, इस बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते–खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफे पर ही मैं सो गया था।

जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी।

बहुत अफसोस हुआ। मन में सोच कर घर आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा। पर यहां तो शाम क्या आधी रात भी निकल गई।

ऐसा ही होता है, जिंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते।

आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धो कर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठ कर कुछ सोच रहा था।

पच्चीस साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के शूट में मुझे मिली थी। फिर मैने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में, दुख में जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।

पर ये कैसा साथ? मैं सुबह जागता हूं अपने काम में व्यस्त हो जाता हूं। वो सुबह जागती है मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूं, वो नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों दुकान के काम में लग जाते हैं, मैं दुकान के लिए तैयार होता हूं, वो साथ में मेरे लंच का इंतजाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं।

मैं एक बार दुकान चला गया, तो इसी बात में अपनी शान समझता हूं कि मेरे बिना मेरी दुकान का काम नहीं चलता, वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है।

देर रात मैं घर आता हूं और खाना खाते हुए ही निढाल हो जाता हूं। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है, जीने की तैयारी में।

वो पंजाबी शूट वाली लड़की मुझ से कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता। पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों?

कई दफा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं।

कल से मैं सोच रहा हूं, वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं?

मैं तो सोच ही रहा हूं, आप भी सोचिए – कि जिंदगी बहुत छोटी होती है। उसे यूं जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए। उसके साथ समय बिताइए। जिसने अपने माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी सब को छोड़ आप से रिश्ता जोड़ आपके सुख–दुख में शामिल होने का वादा किया, उसके सुख–दुख को पूछिए तो सही।

एक दिन अफसोस करने से बेहतर है, सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा।

मोनिका गुप्ता आशुलिपिक ग्रेड–I, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा सोशल मीडिया से संकलित

लोकतंत्र का महापर्व

बीरेंद्र सिंह रावत*

भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ "लोगों का शासन" (संस्कृत में लोक का अर्थ "जनता" तथा तंत्र का अर्थ "शासन) है और इस तरह लोकतंत्र की परिभाषा "जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन" बनी है। यह तभी संभव है जब जनता द्वरा चुने गए प्रतिनिधि विभिन्न नियम–कानूनों के तहत जनता के कल्याण को अपनी नीतियों के केंद्र में रखते हुए शासन चलाएं। अब, बात आती है जनता द्वारा प्रतिनिधियों के चुनाव की। भारत में त्रि–स्तरीय पंचायतों, नगरीय निकायों से लेकर विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा किया जाता है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और ढेर सारी विविधताओं वाले तथा नित नए आंतरिक एवं बाहरी खतरों का सामना करने वाले हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना एक गंभीर चुनौती है। यह चुनौती तब और भी बढ़ जाती थी जब कुछ लोग अपने बाहुबल और धन–बल का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब देश के कुछ राज्यों में विभिन्न तरीकों से मतदाताओं को प्रभावित करना तथा बूथ लूटना (बूथ कैप्चरिंग) आम बात हो गई थी। भारतीय लोकतंत्र का बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्या से पहली बार सामना 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में ही हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बूथ कैप्चरिंग की इस घटना को बेगूसराय जिले की मटिहानी विधानसभा सीट के रचियाही इलाके में अंजाम दिया गया। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया में नित नए सुधार किए गए जैसे कि मतपत्र की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरु किया गया, मतदाताओं के पहचान पत्र का उपयोग होने लगा, तथा अब निर्वाचन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट (वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीनों का प्रयोग शुरु किया गया है। राज्य पुलिस पर स्थानीय नेताओं के दवाब में किसी पक्ष विशेष की तरफदारी करने तथा बाद–बाद में राज्य पुलिस बलों पर विभिन्न राजनीतिक दलों (खासकर विपक्षी दलों) के अविश्वास को देखते हुए 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टीएन शेषन ने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति का निर्णय लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, मतदान करने हेतु मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, इससे मतदाताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए कई राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा चुनावों को अनेक चरणों में संपन्न कराया जा रहा है परंतु आज जितने निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समावेशी तरीके से निर्वाचन आयोगों द्वारा पंचायत से लेकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर 'संसद' के चुनाव संपन्न कराये जा रहे हैं, यह पूरे विश्व में एक नज़ीर बन गया है।

'kklu çkyh: भारत के संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकृत किया है। संसद में भारत के राष्ट्रपति एवं दो सदन – राज्य सभा और लोक सभा आते हैं। राज्यों का संघ होने के नाते, भारत के प्रत्येक राज्य में अलग–अलग राज्य विधायिकाएं होती हैं। राज्य विधायिकाओं में राज्यपाल और दो सदन – विधान परिषद एवं विधान सभा शामिल हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद भारत के छह राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है (पहले यह व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य सहित कुल 07 राज्यों में थी) और शेष 22 राज्यों में राज्यपाल और राज्य विधान सभा की व्यवस्था विद्यमान है। इन के अलावा, नौ संघ राज्य क्षेत्रों में से तीन, जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की भी अपनी विधान सभाएं हैं। 31 विधान सभाओं में लगभग 4120 निर्वाचन क्षेत्र हैं।

fuokpu vk;ksx संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद (राज्य सभा एवं लोक सभा) तथा राज्यों के विधानमंडल (विधान परिषद एवं विधान सभा) के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए 'निर्वाचन आयोग' का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रारम्भ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु प्रथक से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। उसके लिए वह अपनी ईवीएम रखता है जबकि भारत निर्वाचन आयोग सिर्फ केंद्र और राज्यों के विधान मंडल के चुनाव में अपनी ईवीएम का प्रयोग करता है। चुनाव के बाद ये मशीनें सुरक्षा कक्ष में बंद कर दी जाती हैं और फिर कोई भी उसको नहीं खोल सकता है। ये सुरक्षा कक्ष चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद ही खुलते हैं।

fuokpu çfØ;k% राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा एवं राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इन्हें जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि चुनते हैं जबकि त्रि–स्तरीय पंचायतों, नगरीय निकायों से लेकर विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है और हर राजनैतिक दल, उसके कार्यकर्ता और उम्मीदवार को इसका पालन करना होता है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम में अधिसूचना जारी करने की तिथि, नामांकन की अंतिम तिथि, नामांकनों की जाँच करने की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि तथा मतदान की तिथि के ब्यौरे दिए जाते हैं। चुनाव के वक्त प्रशासनिक मशीनरी चुनाव आयोग के नियंत्रण में कार्य करती है।

jkT; lHkk – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन के रूप में 'राज्य सभा' का उल्लेख करता है। राज्य सभा का गठन छह वर्ष के लिए होता है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक दो वर्ष के बाद इसके एक–तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं। राज्य सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है। इनमें से 233 सदस्यों का चुनाव 28 राज्यों और तीन संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी) के विधानमंडल द्वारा किया जाता है तथा शेष 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मनोनीत किए जाने वाले सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता हो।

ykd lHkk% संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत संसद के निम्न सदन 'लोक सभा' का गठन पाँच वर्ष के लिए किया जाता है। देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए एक प्रतिनिधि को 'लोक सभा' में भेजता है। दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये दो सदस्य ऑग्ल–भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

fo/kku ifj"kn% संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इस प्रकार होता है :– (i) इसके सदस्यों की संख्या के 1/6 सदस्य – राज्य के राज्यपाल द्वारा उन लोगों में से मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं; (ii) इसके सदस्यों की संख्या के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन, अध्यापकों से बने निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है; (iii) इसके सदस्यों की संख्या के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन पूर्व स्नातकों से बने निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है; (iv) इसके सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों (नगरपालिका, जलबोर्ड) के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाच्क मंडल के माध्यम से होता है तथा शेष एक–तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। केंद्र में राज्य सभा की तरह ही राज्यों में विधान परिषद एक स्थायी सदन है, राज्यपाल द्वारा इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसका गठन छह वर्ष के लिए होता है और इसके एक–तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं एवं उनके स्थान पर नये सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद वर्तमान में देश के केवल छह राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विधान परिषद है।

fo/kku lHkk% संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकेगी। हालांकि, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए न्यूनतम संख्या 30 है और मिजोरम के लिए यह संख्या 40 है। वर्तमान में सिक्किम विधान सभा में 32 सीटें हैं। विधान सभा का गठन पाँच वर्ष के लिए किया जाता है और इसके सदस्यों का निर्वाचन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से होता है। राज्य विधान सभा के लिए राज्यपाल द्वारा आँग्ल–भारतीय समुदाय से एक सदस्य का मनोनयन किया जाता है।

jk"Vªifr% संविधान के अनुच्छेद 52 में 'राष्ट्रपति' के पद का प्रावधान किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा, तथा वह संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होगा। वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अनुच्छेद 54 एवं 55 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल, जिसमें लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 155 के अुनसार **jkT;iky** की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156 के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

mijk"Vªifr% संविधान के अनुच्छेद 63 में 'उपराष्ट्रपति' पद का प्रावधान किया गया है और वह अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्यों (निर्वाचित एवं मनोनीत) से मिलकर बनाए गए निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है।

iapk;rh jkt% ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए राज्य को संविधान के अनुच्छेद 40 में निदेश दिए गए हैं और पंचायती राज के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 243 (क) से 243 (ण) विशेष उल्लेख करता है। संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों के रूप में पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश के सभी राज्यों में 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान निम्न प्रकार किया गया है:

Lrj	Lkjpuk	eq[; inkf/kdkjh	lnL;
ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	प्रधान	ग्राम पंचायत सदस्य
खंड (ब्लॉक) स्तर	क्षेत्र पंचायत	प्रमुख	क्षेत्र पंचायत सदस्य
जिला स्तर	जिला पंचायत	अध्यक्ष	जिला पंचायत सदस्य

पंचायतों के चुनाव हर पाँच साल में किए जाते हैं। इनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों का आरक्षण होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया 'प्रधान' तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य ग्रामीण जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जबकि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

uxjikfydk,% नगरपालिकाओं के संबंध में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत संविधान का अनुच्छेद 243 (त) से 243 (य) विशेष उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 (थ) के अनुसार तीन प्रकार की स्थानीय नगरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है: (i) नगर पंचायत – संक्रमणशील क्षेत्र के लिए वह क्षेत्र (10,000–20,000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र) जो ग्रामीण व शहरी दोनों का सम्मिलित रूप है; (ii) नगर पालिका परिषद – छोटे–छोटे नगरों (20,000–3,00,000 की जनसंख्या वाले) के लिए; तथा (iii) नगर निगम – वृहत नगरों (जहाँ की जनसंख्या 3,00,000 से अधिक है) के लिए। प्रत्येक नगरपालिका को प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। नगरपालिका के सदस्य इन वार्डों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

ernku çfØ;k% आम तौर पर एक मतदान केंद्र में चार निर्वाचन कार्मिक होते हैं – पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं मतदान अधिकारी तृतीय। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का प्रभारी होता है तथा मतदान के सुचारु संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। मतदान अधिकारी प्रथम निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) का प्रभारी होता है तथा वह फोटोयुक्त चिह्नित मतदाता सूची में वोट डालने वाले मतदाता के नाम के विवरण का उसके पहचान पत्र के साथ मिलान करने के बाद इस पर लाल स्याही से रेखांकित करता है। मतदान

अधिकारी द्वितीय अमिट स्याही एवं मतदाता रजिस्टर (17 क) का प्रभारी होता है। वह मतदाता रजिस्टर में स्तंभ 01 में क्रम संख्या, स्तंभ 02 में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, स्तंभ 03 में निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का संक्षिप्त नाम एवं उसके आखिरी चार अंक (उदाहरणार्थः इपिक–5512, डी.एल.–3124, आर.सी. –6780 आदि) दर्ज करता है। स्तंभ 04 में निर्वाचक के हस्ताक्षर लेता है/अंगूठे का निशान लगवाता है। निर्वाचक की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाकर तथा मतदाता पर्ची पर क्रम संख्या एवं निर्वाचक का क्रमांक लिखकर अपने हस्ताक्षर कर उक्त पर्ची मतदाता को देता है।

मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। वह मतदाता से पर्ची लेकर व कंट्रोल यूनिट का 'बैलेट' बटन दबाकर मतदाता को अनुमति देता है कि वह मतदान कक्ष (वोटिंग कंपार्टमेंट) में जाकर बैलेट यूनिट में मनपसंद उम्मीदवार के सामने वाले नीले बटन को दबाकर वोट डाले। इस तरह वास्तविक मतदान की प्रक्रिया जारी रहती है। जैसे ही आखिरी मतदाता, मतदान कर लेता है, कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी 'क्लोज' बटन दबाता है। इसके उपरांत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई भी मत स्वीकार नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, मतदान समाप्त होने के पश्चात बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर दिया जाता है और पृथक रूप से रखा जाता है। वोटों को केवल बैलेट यूनिट के माध्यम से ही दर्ज किया जा सकता है। मतदान की प्रक्रिया के दौरान विशेष परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख शब्द इस प्रकार हैंः i) निविदत्त मत (टेंडर्ड वोट): जब किसी मतदाता को मतदान केंद्र पहुंचने पर यह पता चले कि उसका वोट पहले ही पड़ चुका है तो वह यह बात पीठासीन अधिकारी को बताए। पीठासीन अधिकारी उसकी पहचान की पुष्टि करने के बाद उसे मत पत्र देगा जिसके माध्यम से वह अपना वोट दर्ज करा सकता है। यह निविदत्त मत कहलाता है और ऐसे मामलों में केवल मतपत्र का ही प्रयोग किया जा सकता है, न कि ईवीएम का। ii) अभ्याक्षेपित मत (चैलेंज्ड वोट): जब कोई चुनाव अभिकर्ता मतदान केंद्र पर किसी मतदाता की पहचान को चुनौती देता है कि यह व्यक्ति वह नहीं है जिसके होने का यह दावा कर रहा है तो उसे (चुनाव अभिकर्ता) पीठासीन अधिकारी के पास दो रुपये को शुल्क जमा करना होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा सवाल–जवाब करने एवं साक्ष्यों के आधार पर यदि चुनाव अभिकर्ता सही पाया जाता है तो इसके द्वारा जमा कराए गए दो रुपये इसे वापस कर दिए जाते हैं और अभ्याक्षेपित मत संबंधी प्रारूप 14 में प्रविष्टि करने और उसके समक्ष मतदाता के हस्ताक्षर लेने के बाद मतदाता को पररूप धारण करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। परंतु यदि चुनाव अभिकर्ता सही नहीं पाया जाता है तो मतदाता को मतदान करने की अनुमति दे दी जाती है।

प्रत्येक मतदान केंद्र पर वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल (छद्म मतदान) की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इस प्रक्रिया को आम भाषा में 'सीआरसी (क्लोज, रिजल्ट, क्लियर)' भी कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेंटों) के समक्ष टोटल बटन दबाकर यह दिखाता है कि मशीन में पहले से ही दर्ज किए गए मत नहीं हैं। उपस्थित उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा मतदान अधिकारियों के सामने मतदान कक्ष में नोटा सहित चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को कम–से–कम तीन–तीन वोट के साथ कम–से–कम 50 वोट डाले जाते हैं। मतदान कक्ष में उपस्थित मतदान अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को डाले गए मतों का लेखा–जोखा रखते हैं। कम–से–कम 50 वोट डलवाने के बाद कंट्रोल यूनिट में 'टोटल' बटन दबाकर कुल पड़े मतों को नोट करके 'क्लोज' बटन को दबाया जाता है। पोलिंग एजेंटों का उपथिति में 'रिजल्ट' बटन दबाकर प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों एवं ईवीएम में पड़े मतों का मिलान करने के बाद इनका मिलान वीवीपैट के ड्रॉपबॉक्स में गिरी पर्चियों से किया जाता है। मॉक पोल प्रमाणपत्र भरकर उपस्थित सभी पोलिंग एजेंटों से हस्ताक्षर कराकर पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर करता है। इसके बाद 'क्लियर' बटन दबाकर मॉक पोल हेतु पड़े वोटों को मशीन की मेमोरी से साफ कर दिया जाता है। ऐसा करने पर कुल पड़े मत (टोटल पोल्ड वोट्स) '0' प्रदर्शित होता है। पुनः 'टोटल' बटन दबाया जाता है। ऐसा करने पर पुनः कुल पड़े मत (टोटल पोल्ड वोट्स) '0' प्रदर्शित होता है। यह प्रक्रिया हर हाल में वास्तविक

मतदान शुरु करने से पहले पूरी करनी होती है। आम तौर पर इस प्रक्रिया को वास्तविक मतदान से एक घंटा पहले शुरु किया जाना होता है किंतु यदि पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं हैं तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट प्रतीक्षा करता है। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद भी यदि पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो पीठासीन अधिकारी मॉक पोल की प्रक्रिया शुरु कर देता है।

byDV',fud okfVax e'khu ¼bZoh,e½ & ईवीएम पांच मीटर केबल द्वारा जुड़ी दो यूनिटों–एक कंट्रोल यूनिट एवं एक बैलेट यूनिट–से बनी होती है। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास होती है तथा बैलेट यूनिट वोटिंग कम्पार्टमेंट के अंदर रखी होती है। इसके साथ ही वोटर वैरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीन भी जोड़ी जाती है।

बाँयें से कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट

वोटर वैरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। इससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति दी जाती है कि उनके द्वारा डाला गया वोट सही ढंग से पड़ा है कि नहीं अर्थात यह उसी उम्मीदवार, जिसके लिए मतदान किया गया है, को मिला है कि नहीं। वीवीपैट मशीन की पारदर्शी खिड़की पर एक पर्ची जिसमें उम्मीदवार का नम्बर, नाम एवं चुनाव चिह्न होता है, सात सेकेंड के लिए दिखाई देती है और उसके बाद यह पर्ची ड्रॉपबॉक्स में गिर जाती है।

ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा विनिर्मित 6 वोल्ट की एल्कलाइन साधारण बैटरी पर चलती है। अतः, ईवीएम का ऐसे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं हैं। ईवीएम में अधिकतम 3840 मत दर्ज किए जा सकते हैं। जैसाकि सामान्य तौर पर होता है, एक मतदान केन्द्र में निर्वाचकों की कुल संख्या 1500 से अधिक नहीं होगी फिर भी, ईवीएम की क्षमता पर्याप्त से अधिक है। ईवीएम अधिकतम 64 अभ्यर्थियों के लिए काम कर सकती है क्योंकि एक बैलेट यूनिट में मात्र 16 बटन होते हैं और एक कंट्रोल यूनिट से 4 से ज्यादा बैलट यूनिट को नहीं जोड़ा सकता है। ईवीएम में प्रति मिनट केवल 5 मत ही दर्ज किए जा सकते हैं।

yksdra= dk egkioZ भारत को अक्सर त्यौहारों का देश कहकर पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे–बड़े अनेक त्यौहार जैसे– होली, दीपावली, दुर्गापूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी, ईद, बकरीद, क्रिश्मस, गुरु नानक जयंती आदि मनाये जाते हैं। इनके अलावा हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व जैसे – 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर आदि भी बड़े धूम–धाम से मनाये जाते हैं। भारत में हर समय कहीं न कहीं चुनाव चल रहे होते हैं। हमारे देश में चुनावों को एक तरह से लोकतंत्र के पर्व के तौर पर लिया जाता है और इनमें सबसे बड़ा पर्व है – लोक सभा चुनाव। लोक सभा चुनाव, 2019 में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल 2019 एवं अंतिम (नौवें) चरण का मतदान 19 मई 2019 को हुआ तथा वोटों की गिनती 23 मई 2019 को हुई। इसमें भारत के लगभग 29.24 करोड़ महिला मतदाताओं, 61.46 लाख दिव्यांग मतदाताओं एवं 18.05 लाख सेवा मतदाताओं सहित कुल लगभग 61.30 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इन चुनावों को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन तंत्र के 1.2 करोड़ से अधिक कार्मिकों ने अपनी सेवाएँ दीं। लोक सभा चुनाव, 2019 की प्रक्रिया 39 दिनों तक चली। हालांकि इसके बावजूद यह भारत का सबसे लंबा चुनाव नहीं है। भारत का सबसे लंबा चुनाव पहला आम चुनाव था। आजाद भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था। मतलब करीब तीन महीने तक चुनाव चला था। 1962 से 1989 के बीच चुनाव में चार से 10 दिनों का वक्त लगा था। 1980 में चार दिनों के भीतर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई थी और यह अब तक हुए चुनावों में सबसे कम समय का चुनाव था।

okfVax çfr'kr & 2019 के लोकसभा चुनाव में रेकॉर्ड 67.1 प्रतिशत वोटिंग हुई। यह वोटिंग प्रतिशत वर्ष 2014 के मुकाबले 1.16 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले 16 लोकसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम–ज्यादा होता रहा है। 1951 में पहले चुनाव में वोटिंग प्रतिशत सबसे कम था, जो 45.67 प्रतिशत था। इसके बाद 1957 में 47.74 प्रतिशत, 1962 में 55.42 प्रतिशत, 1967 में 61.33 प्रतिशत, 1971 में 55.88 प्रतिशत, 1977 में 60.49 प्रतिशत, 1980 में 56.92 प्रतिशत, 1984–85 में 64.01 प्रतिशत, 1989 में 61.95 प्रतिशत, 1991–92 में 55.88 प्रतिशत, 1996 में 57.94 प्रतिशत,

1998 में 61.97 प्रतिशत, 1999 में 59.99 प्रतिशत, 2004 में 57.19 प्रतिशत, 2009 में 58.19 प्रतिशत और 2014 में 66.44 प्रतिशत वोटिंग हुई।

vk/kh vkcknh dh Hkkxhnkjh – पहली लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 4.4 प्रतिशत थी जो 2019 में बढ़कर 14.39 प्रतिशत हो गई। हालांकि यह अभी भी वैश्विक औसत 20 प्रतिशत से काफी कम है। पहले आम चुनाव के बाद गठित पहली लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक महिला सांसदों की संख्या 19 से 78 के बीच रही है। पहली लोकसभा में 22 महिलाएं जीती थी जो सदन की कुल संख्या का 4.4 प्रतिशत थी। 1957 में दूसरी लोकसभा में 27 महिलाएं (5.4 प्रतिशत), 1962 में तीसरी लोकसभा में 34 महिलाएं (6.7 प्रतिशत), 1967 में चौथी लोकसभा में 31 महिलाएं (5.9 प्रतिशत), 1971 में पांचवी लोकसभा में 22 महिलाएं (4.2 फीसदी), 1977 में छठी लोकसभा में 19 महिलाएं (3.4 फीसदी), 1980 में सातवीं लोकसभा में 28 महिलाएं (5.1 प्रतिशत), 1984–84 में आठवीं लोकसभा में 44 महिलाएं (8.11 फीसदी), 1989 में नौवीं लोकसभा में 28 महिलाएं (5.3 प्रतिशत), 1991 में दसवीं लोकसभा में 36 महिलाएं (7 प्रतिशत), 1996 में 11वीं लोकसभा में 40 महिलाएं (7.4 प्रतिशत), 1998 में 12वीं लोकसभा में 44 महिलाएं (8 प्रतिशत), 1999 में 13वीं लोकसभा में 48 महिलाएं (8.8 प्रतिशत), 2004 में 14वीं लोकसभा में 45 महिलाएं (8.1 प्रतिशत), 2009 में 15वीं लोकसभा में 59 महिलाएं (10.9 प्रतिशत), 2014 में 16वीं लोकसभा में 62 महिलाएं (11.41 प्रतिशत) चुनकर आईं। हालांकि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 64 (11.78 प्रतिशत) हो गई। 2019 में 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिलाएं (14.39 प्रतिशत – 542 का, क्योंकि एक सीट पर चुनाव को स्थगति कर दिया था) चुनकर आई हैं।

funZyh; lkalnksa dh la[;k – लोक सभा चुनावों में जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार है: 1951–52 में पहली लोक सभा में 37, 1957 में दूसरी लोक सभा में 42, 1962 में तीसरी लोक सभा में 20, 1967 में चौथी लोक सभा में 35, 1971 में पांचवी लोक सभा में 35, 1977 में छठी लोक सभा में 09, 1980 में सातवीं लोक सभा में 09, 1984–84 में आठवीं लोक सभा में 05, 1989 में नौवीं लोक सभा में 12, 1991 में दसवीं लोक सभा में मात्र एक, 1996 में 11वीं लोक सभा में 09, 1998 में 12वीं लोक सभा में 06, 1999 में 13वीं लोक सभा में 06, 2004 में 14वीं लोक सभा में 05, 2009 में 15वीं लोक सभा में 09, 2014 में 16वीं लोक सभा में 03 तथा 2091 में 17वीं लोक सभा में 04 सदस्य। निर्दलीय सांसदों की संख्या में कमी के अनेक कारण हैं जिनमें प्रमुख है – राजनैतिक दलों की बढ़ती संख्या ने मतदाताओं के सामने विकल्प बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवार या तो शौकिया हैं, तात्कालिक लोकप्रियता चाहते हैं या पहचान बनाकर अपने दूसरे कामों के लिए जमीन तैयार करने के लिए उतरते हैं; दलों से नाराज बागी के तौर पर किसी खास उम्मीदवार को हराने या फिर बड़ी सीटों पर किसी मजबूत उम्मीदवार को सहूलियत देने के लिए भी ये काम आते हैं; या फिर किसी व्यक्ति (उम्मीदवार) विशेष के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करने के लिए भी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर जाते हैं।

ykd lHkk fuokZpu lEca/kh dqN jkspd rF;%

(i) **lalnh; {ks= ls fuokZfpr lnL;&** पहले दो आम चुनावों में कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहाँ से दो सांसद चुने गए, एक सामान्य वर्ग से और एक एससी/एसटी वर्ग से। ऐसे संसदीय क्षेत्रों की संख्या 1951–52 में 86 और 1957 में 92 थी। यह व्यवस्था 1962 में खत्म हुई। 1951–52 के पहले आम चुनाव में एक क्षेत्र ऐसा भी था, जहाँ से 03 सांसद चुने गए, यह संसदीय क्षेत्र था – नॉर्थ बंगाल। इन चुनावों में हर उम्मीदवार के लिए स्टील की अलग मतपेटियों (बैलेट बॉक्स) का प्रावधान किया गया था और कुल 23.8 लाख मतपेटियों का इस्तेमाल हुआ।

(ii) **ukVk dks fy, ernku &** लोकसभा निर्वाचन, 2019 में भारत में लगभग 1.04 प्रतिशत मतदाताओं ने उपरोक्त में से कोई नहीं (नन ऑफ द एबव – नोटा) के लिए मतदान किया। लोकसभा निर्वाचन, 2014 में भी लगभग इतने ही मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। इस वर्ष, 2.08 प्रतिशत नोटा मतदाताओं के साथ असम और बिहार अग्रणी रहे जबकि सिक्किम में यह संख्या केवल 0.65 प्रतिशत थी। भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं (नोटा) बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

(iii) **rhu pj.kksa esa ernku** – लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार एक संसदीय क्षेत्र (अनंतनागः जम्मू–कश्मीर) पर सुरक्षा कारणों से तीन चरणों (23 अप्रैल, 29 अप्रैल और 06 मई) में मतदान कराया गया।

(iv) **fons'kh çfrfuf/keMy &** लोकसभा निर्वाचन, 2019 के दौरान 12 मई को छठे चरण के मतदान के दिन चुनाव

प्रक्रिया का अध्ययन करने हेतु रूस, मैक्सिको, मलयेशिया, भूटान, बांग्ला देश, बोस्निया, श्रीलंका, कंबोडिया, केन्या सहित 18 देशों के चुनाव अधिकारियों एवं नीति–निर्माताओं ने दिल्ली में विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया।

n'k dk igyk ernkrk% 01 जुलाई 1917 को जन्मे श्री श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 33 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 1951 को इसी गाँव में स्थित प्रथम प्राथमिक विद्यालय (1890 में स्थापित) में सबसे पहले मतदान किया। वर्ष 1951–52 में हुए पहले आम चुनाव के दौरान सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी की संभावनाओं की वजह से यहां के मतदाताओं को 25 अक्टूबर 1951 को ही वोट करने का मौका दिया गया था। एक स्कूल अध्यापक होने के नाते सबसे पहला वोट श्री श्याम शरण नेगी ने डाला और तब से अब तक उन्होंने लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

लोकतंत्र के लिए एक और शान की बात यह कि उम्र का शतक लगा चुके श्याम शरण नेगी घर से करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर मतदान करने आते हैं।

dN n'kk e vfuok;Z ernku% भारत निर्वाचन आयोग बेहतर मतदान के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया के हर देश के आगे है। यहां 90 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है जिसकी अपेक्षा थी। वहीं, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां मतदान करना अनिवार्य है। इन देशों में मतदान न करने पर जुर्माने से लेकर सजा का भी प्रावधान है।

ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, सिंगापुर, साइप्रस, पेरू, बोलीविया समेत दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जहां मतदान अनिवार्य है। इन 33 देशों में 19 ऐसे हैं जहां मतदान न करने पर सजा का प्रावधान है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, यह एक ऐसा देश है जहां मतदान करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु वाले हर व्यक्ति को मतदान करना अनिवार्य है, फिर चाहे व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। यहां यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, भले ही उसके वोट न कर पाने की कुछ भी वजह हो। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में हमेशा शनिवार को ही मतदान कराने का चलन है। इसके पीछे का कारण है कि इस दिन अधिकांश लोग काम पर नहीं जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन वोटिंग की भी सुविधा रहती है।

बेल्जियम में मतदान न करने पर 1893 से ही जुर्माना लगाने का नियम है। वहीं, ब्राजील में मतदान न करने पर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। सिंगापुर में अगर कोई नागरिक मतदान नहीं करता है तो उससे मत अधिकार ही छीन लिया जाता है। वहीं बोलीविया में यदि कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो उसे तीन महीने का वेतन वापस देना पड़ता है। पेरू और ग्रीस में मतदान न करने वाले व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाती है।

हालांकि भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, सुगम एवं समावेशी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग सदैव हरसंभव प्रयास करता है और विगत में अनेक चुनाव सुधार किए भी गए हैं परंतु अभी भी कुछ ज्वलंत मुद्दों पर कार्यवाही करने की तत्काल आवश्यकता है। इनमें प्रमुख हैं: i) जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना कि हमें 'एक देश, एक चुनाव' की नीति पर काम करना होगा। पूरे देश में लोक सभा एवं सभी विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। ii) किसी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। iii) किसी एक सदन के निर्वाचित प्रतिनिधि को दूसरे सदन के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इनसे न केवल समय और धन की बर्बादी पर अंकुश लगेगा अपितु सरकारों को लोक कल्याणकारी कार्यों को करने में अधिक समय भी मिलेगा।

जीने की राहः शुभम कुमार*

11 साल पहले लगा बिजली का भयानक झटका। एक साल तक अस्पताल में चला इलाज और फिर शुरू हुई जिंदगी में दोबारा से बसने की जद्दोजहद। शुभम कुमार अब उस ना भूले जा सकने वाले हादसे को भूल चुके हैं और सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में आए परिणाम के बाद तो वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहते। 79 फीसदी अंक जो हासिल किए हैं। वह भी एक पैर से कॉपी लिखकर। शुभम के माता–पिता के लिए उनका बेटा टॉपर है।

पैर से लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि इलाज के दौरान शुभम के दोनों हाथ और एक पैर काटना पड़ा था। इतने बड़े दर्द के बाद जिंदगी में लौटना और फिर उसे खुलकर जीने की ख्वाहिश को पूरा करना आसान नहीं रहा शुभम के लिए लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की। कामयाबी को उसी एक पैर से लिखने की ठानी। शुभम ने अपनी जिंदगी में एक नया शब्दकोश गढ़ा। इसमें विकलांगता, अक्षमता, असंभव और हार जैसे शब्दों की जगह नहीं है।

घटना 2008 की है। तब तक शुभम भी बाकी बच्चों जैसे ही थे। एक दिन छत पर गेंद खेलते हुए हाइटेंशन तार की चपेट में आ गए। माता–पिता उन्हें डीडीयू हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने सफदरजंग रेफर कर दिया। शुभम तीन महीने तक आईसीयू में रहे। प्राइवेट नौकरी करने वाले शुभम के पिता अलानंद सिंह ने बताया– सफदरजंग में बेटे के कई ऑपरेशन हुए। शरीर में संक्रमण फैलने के कारण डॉक्टरों को उसके दोनों हाथ और फिर दायां पैर भी काटना पड़ा। बायां पैर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। एक साल तक शुभम का इलाज चलता रहा। जान तो बच गई, लेकिन एक पैर के सहारे वह क्या कर सकता था। स्कूल जाना बंद हो गया शुभम का।

पैरंट्स के सपॉर्ट से शुभम ने एक पैर से ही जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। पहले एक पैर से लिखना शुरू किया। धीरे–धीरे खाना खाना और बाकी काम भी एक पैर से होने लगे। एक साल घर पर रहने के बाद शुभम का आत्मविश्वास लौटा। उसने स्कूल जाने की इच्छा जाहिर की। माता–पिता ने कड़कड़डूमा के अमर ज्योति स्कूल में दाखिला करवाया। वहां 8वीं तक पढ़ाई की। पाँचवीं कक्षा तक शुभम सेकंड आते थे। छठी से फर्स्ट डिविजन आने लगी। वह बाकी बच्चों की तरह लैपटॉप और मोबाइल भी पैरों से ही चलाते हैं।

fon'k e Hkh dj pd g n'k dk çfrfuf/kRo

अमर ज्योति स्कूल की ट्रस्टी मोहिनी माथुर ने बताया कि शुभम मेहनती स्टूडेंट हैं। 2015 में इंडोनेशिया में दिव्यांगों की ग्लोबल आईटी प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। प्रतियोगिता जीती भी। वह कई क्विज प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुके हैं। 2013 में जीआरएफ फाउंडेशन की ओर से कराई गई प्रतियोगिता में वह फर्स्ट आए। शुभम ने बताया कि वह आईटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। खाली वक्त में जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते हैं। शुभम को अब जिंदगी में कोई कमी नहीं दिखाई देती।

** साभारः नवभारत टाईम्स*

jktHkk"kk ,o lkekU; Kku çfr;ksfxrk dk ifj.kke

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में शुक्रवार, 21 दिसम्बर 2018 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में नराकास, नौएडा के 24 सदस्य कार्यालयों से 57 प्रतियोगियों ने भाग लिया तथा विजयी प्रतियोगियों के नाम इस प्रकार हैं:

Øe l-	çfr;kxh dk uke	dk;ky;	iqjLdkj
1.	सुश्री कविता दहिया	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त	प्रथम
2.	श्री प्रताप सिंह नाथावत	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	द्वितीय
3.	श्री विनोद कुमार	दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय	तृतीय
4.	श्री ब्रिजेश कुमार	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉली पार्क्स ऑफ इंडिया	प्रोत्साहन
5.	श्री संजय ढौंडियाल	कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त	प्रोत्साहन
6.	श्री वरुण गुप्ता	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉली पार्क्स ऑफ इंडिया	प्रोत्साहन
7.	श्री सुनील मधेशिया	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	प्रोत्साहन
8.	श्री कपिल खेड़ा	हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय	प्रोत्साहन

सभी सफल प्रतियोगियों को 31.01.2019 को गेल (इंडिया) लिमिटेड, गेल जुबिली टावर, सैक्टर–1, नौएडा में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) नौएडा की 37वीं बैठक में नराकास के अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधनः भारत के असंगठित कामगारों के लिए एक वृहद पेंशन योजना

राजेश कुमार कर्ण*

असंगठित कामगार जैसे रिक्शा चालक, फेरीवाला, घरेलू कामगार, दर्जी, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, पान वाले, छोटी दुकानों वाले या इसी तरह के अन्य कामगार इत्यादि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। ये कामगार लोग इतना पैसे नहीं बचा पाते कि किसी पेंशन स्कीम या अन्य स्कीम में पैसा लगा कर अपना भविष्य सुरक्षित एवं सुदृढ़ कर सकें। आमतौर पर उनमें बचत की आदत नहीं होती। उन्हें अपने उत्थान के लिए शुरू से ही किसी सरकारी योजना की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के आ जाने से उनका ये सपना पूरा हुआ। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रुपए की न्यूनतम निश्चित पेंशन मुहैया कराने के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन' पेंशन योजना शुरू की गई है। श्रमिकों को पेंशन मिलने से उनके पूरे परिवार को एक आसरा मिलेगा और उन्हें सुरक्षा का अहसास होगा।

अंतरिम बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस योजना की घोषणा करते हुए ठीक ही कहा था कि ''भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के उन 42 करोड़ कामगारों के पसीने और कठोर परिश्रम से आता है, जो रेहड़ी–पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, कूड़ी बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के अनेक अन्य कामों में लगे हुए हैं, इस स्कीम का फायदा उनको मिलेगा।'' उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अगले पांच वर्षों में कम से कम 10 करोड़ कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार को यह उम्मीद है कि यह योजना असंगठित कामगारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस योजना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी 2019 से किया जा रहा है।

* आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा

5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के वस्त्रल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम–एसवाईएम) योजना को देश के असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ श्रमिकों को समर्पित किया। उन्होंने लाभार्थियों के बीच पीएम–एसवाईएम पेंशन कार्ड का वितरण भी किया। तीन लाख जन सेवा केंद्रों में 2 करोड़ श्रमिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस उद्घाटन कार्यक्रम को देखा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं जैसे– स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत, जीवन बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और शारीरिक अक्षमता के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। उन्होंने कहा कि आज जो यह योजना हम लेकर आए हैं, वो बीते पांच वर्षों के दौरान आप सभी के लिए बनी योजनाओं का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे आसपास काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण कराने के लिए सहायता प्रदान करें। उच्च आय वर्ग के लोगों के इस कार्य से गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। श्रमिकों को सम्मान देने से राष्ट्र आगे बढ़ेगा।

सरकार ने इस योजना के लिए पात्रता के मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के पात्र 18–40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, दर्जी, अगरबत्ती बनाने वाले, बीड़ी बनाने वाले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाले जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, लोहार, बढ़ई, आटा चक्की चलाने वाले, ताले बनाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, अखबार बेचने वाले, पान वाले, पापड़ बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, पावरलूम बुनकर, कबाड़ बीनने वाले, रिक्शा चालक, सफाई करने वाले, खिलौने बनाने वाले, वेल्डिंग का काम करने वाले तथा इस तरह के अन्य काम करने वाले श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15000 रुपए प्रति महीने या उससे कम है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या नई पेंशन योजना या कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर किए गए या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18–40 वर्ष की प्रवेश आयु पर योजना में शामिल होने से 60 वर्ष की उम्र की प्राप्ति तक प्रत्येक अभिदाता को अंशदान करना होगा। 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद उन्हें 3000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50% लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगा। यदि अभिदाता ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 50:50 के अनुपात के आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें निर्धारित आयु–विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और उसके बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। आपको कितनी रकम प्रतिमाह जमा करनी है, यह आपकी आयु से तय होगी। जो राशि तय होगी, वह आपको 60 साल का होने तक अदा करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए प्रतिमाह का अंशदान करना होगा तथा यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक 200 रुपए प्रतिमाह का अंशदान करना होगा। केन्द्र सरकार भी बराबर का अंशदान करेगी।

पात्र अभिदाता नजदीकी सामुदायिक सेवा केन्द्रों (सीएससी) पर जाकर अपना आधार नं. तथा बचत बैंक खाता/जनधन खाता को स्वप्रमाणित करके इस योजना के लिए नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा अभिदाता के पास मोबाइल फोन होना अनिवार्य है। आपको पहले महीने की अंशदान राशि का भुगतान नकद रूप में जमा करना होगा और इसकी रसीद आपको मिलेगी। इसके बाद आपके 60 साल का होने तक रकम आपके खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से अपने आप कटती जाएगी।

सीएससी केन्द्र पर पंजीकरण पूरा होने पर योजना के तहत एक ऑनलाइन पेंशन नम्बर जेनरेट होगा। सीएससी आपको पेंशन स्कीम कार्ड का एक प्रिंट आउट देगी जिसमें आपका नाम, पेंशन अकाउंट नम्बर, पेंशन शुरू होने की तारीख, मासिक पेंशन राशि सहित कई और जानकारियां अंकित होंगी। बाद में अभिदाता को पीएमएसवाईएम वेब पोर्टल पर जाने तथा मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सभी शाखा कार्यालयों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सभी कार्यालयों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों के माध्यम से आप इस योजना के लाभों, प्रक्रियाओं तथा नजदीकी सीएससी केन्द्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह केन्द्र सरकार की योजना है जिसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कर रहा है। यह योजना एलआईसी और सीएससी के माध्यम से लागू की गयी है। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर है और पेंशन के लिए उत्तरदायी है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत एकत्रित राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश तरीकों के अनुसार किया जा रहा है जो पूर्णतः सुरक्षित है। इस योजना के लिए सरकार ने एक फंड बनाया है और इसी फंड के जरिए ही सभी लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी। सरकार की तरफ से पेंशन की गारंटी है।

असंगठित मजदूरों के रोजगार के अनिश्चित स्वभाव को देखते हुए योजना से बाहर निकलने के प्रावधान लचीले रखे गए हैं। यदि अभिदाता 10 वर्ष से कम की अवधि में योजना से बाहर निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान बचत बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा। यदि अभिदाता योजना से 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष की उम्र से पहले निकलता है तो उसे पेंशन योजना में कमाए गए संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ अभिदाता के हिस्से का अंशदान लौटाया जाएगा। यदि अभिदाता ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो जीवनसाथी के पास नियमित अंशदान का भुगतान करके स्कीम को चलाने या पेंशन योजना में कमाए गए संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी के हिस्से का अंशदान लेकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा। यदि अभिदाता ने नियमित अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है और योजना के अंतर्गत अंशदान करने में अक्षम रहता है तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान करके इस योजना को आगे जारी रख सकता है या कोष द्वारा अर्जित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर, जो भी अधिक हो, के साथ लाभार्थी का अंशदान प्राप्त कर योजना से बाहर निकल सकता है। अभिदाता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद संपूर्ण राशि कोष में जमा करा दी जाएगी। यदि अभिदाता ने निरंतर रूप से अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दंड राशि के साथ पूरा बकाया राशि का भुगतान करके अंशदान को नियमित करने की अनुमति है।

इस योजना से अब तक लगभग 12 लाख लाभार्थी जुड़ चुके हैं एवं इसमें अबतक 14 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और इतनी ही रकम भारत सरकार की ओर से भी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र के कामगार सबसे आगे हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे लोगों को अंशदायी आधार पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है जिनके पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। इस योजना का सभी ओर से स्वागत किया गया है क्योंकि यह देश के श्रमिक वर्ग के एक बड़े हिस्से को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा करती है। भारत का 92% से अधिक कार्यबल असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यह सकल घरेलू उत्पाद का 50% योगदान करता है। अंतरिम बजट में सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की है और इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से अधिक कामगारों को मदद मिलने की उम्मीद है। कामगार वर्ग के योगदान को चिन्हित करना और उसे सामाजिक सुरक्षा का अहसास दिलाना एक महत्वपूर्ण कदम है। निश्चय ही यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बुढ़ापे में वरदान सिद्ध होगी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होगी।

dgkuh

त्रिशंकु

मन्नू भण्डारी

"घर की चारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है, पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल–कॉलेज जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं नियम–कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं... बात यह है बंधु कि हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है।"

ये सब मैं किसी किताब के उदाहरण नहीं पेश कर रही। ऐसी भारी–भरकम किताबें पढ़ने का तो मेरा बूता ही नहीं।

ये तो उन बातों और बहसों के टुकड़े हैं जो रात–दिन हमारे घर में हुआ करती हैं। हमारा घर, यानि बुद्धिजीवियों का अखाडा। यहाँ सिगरेट के धुएँ और कॉफी के प्यालों के बीच बातों के बड़े–बड़े तुमार बांधे जाते हैं..... बड़ी–बड़ी शाब्दिक क्रांतियाँ की जाती हैं। इस घर में काम कम, बातें ज्यादा होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने घर से यह लगता जरूर है कि बुद्धिजीवियों के लिए काम करना शायद वर्जित है। मातुश्री अपनी तीन घंटे की तफरीहनुमा नौकरी बजाने के बाद मुक्त। थोड़ा बहुत पढ़ने–लिखने के बाद जो समय बचता है वह या तो बात–बहस में जाता है या फिर लेट लगाने में। उनका ख्याल है कि शरीर के निष्क्रिय होते ही मन–मस्तिष्क सक्रिय हो उठते हैं और वे दिन के चौबीस घंटों में से बारह घंटे अपना मन–मस्तिष्क ही सक्रिय बनाए रखती हैं। पिताश्री और भी दो कदम आगे। उनका बस चले तो वे नहाएँ भी अपनी मेज पर ही।

जिस बात की हमारे यहाँ सबसे अधिक कताई होती है, वह है – आधुनिकता! पर जरा ठहरिए, आप आधुनिकता का गलत अर्थ मत लगाइए। यह बाल कटाने और छुरी–काँटे से खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है। यह है ठेठ बुद्धिजीवियों की आधुनिकता। यह क्या होती है सो तो ठीक–ठीक मैं भी नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने की बात बहुत सुनाई देती है। आप लीक को दुलत्ती झाड़ते आइए, सिर–आँखों पर लीक से चिपककर आइए, दुलत्ती खाइये।

बहसों में यों तो दुनिया–जहान के विषय पीसे जाते हैं पर एक विषय शायद सब लोगों का बहुत प्रिय है और वह है शादी। शादी यानि बर्बादी। हल्के–फुल्के ढंग से शुरू हुई बात एकदम बौद्धिक स्तर पर चली जाती है – विवाह–संस्था एकदम खोखली हो चुकी है..... पति–पत्नी का संबंध बड़ा नकली और ऊपर से थोपा है.... और फिर धुआँधार ढंग से विवाह की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इस बहस में अक्सर स्त्रियाँ एक तरफ हो जातीं और पुरुष एक तरफ। और बहस का माहौल कुछ ऐसा गरम हो जाया करता कि मुझे पूरा विश्वास हो जाता कि अब जरूर एक–दो लोग तलाक दे बैठेंगे। पर मैंने देखा कि ऐसा कोई हादसा कभी नहीं हुआ। सारे ही मित्र लोग अपने–अपने ब्याह को खूब अच्छी तरह तह समेटकर, उस पर जमकर आसन मारे बैठे हैं। हाँ, बहस की रफ्तार और टोन आज भी वही है।

अब सोचिए ब्याह को कोसेंगे तो फ्री–लव और फ्री सेक्स को तो पोसना पड़ेगा। इसमें पुरुष लोग उछल–उछलकर आगे रहते, कुछ इस भाव से मानो बात करते ही इसका आधा सुख तो वे ले ही लेंगे। पापा खुद बड़े समर्थक। पर हुआ यों कि घर में हमेशा चुप–चुप रहने वाली दूर–दराज की एक दिदिया ने बिना कभी इन बहसों में भाग लिए ही इस पर पूरी तरह अमल कर डाला तो पाया कि सारी आधुनिकता आ...धम्! वह तो फिर मम्मी ने बड़े सहज ढंग से सारी बात को संभाला और निरर्थक विवाह के बंधन में बांधकर दिदिया का जीवन सार्थक किया हालांकि यह बात बहुत पुरानी है और मैंने तो बड़ी दबी–ढकी जुबान से इसका जिक्र ही सुना है।

वैसे पापा–मम्मी का प्रेम विवाह हुआ था। यों यह बात बिल्कुल दूसरी है कि होश संभालने के बाद मैंने उन्हें प्रेम करते नही केवल बहस करते ही देखा है। विवाह के पहले अपने इस निर्णय पर मम्मी को नाना से भी बहुत बहस करनी पड़ी थी और बहस का यह दौर बहुत लम्बा भी चला था शायद। इसके बावजूद यह बहस–विवाह नहीं प्रेम–विवाह ही है, जिसका जिक्र मम्मी बड़े गर्व से किया करती हैं। गर्व विवाह को लेकर नहीं, पर इस बात को लेकर है कि किस प्रकार उन्होंने नाना से मोर्चा लिया। अपने और नाना के बीच हुए संवादों को वे इतनी बार दोहरा चुकी हैं कि मुझे वे कंठस्थ–से हो गए हैं। आज भी जब वे उसकी चर्चा करती हैं तो लीक से हटकर कुछ करने का संतोष उनके चेहरे पर झलक उठता है।

बस, ऐसे ही घर में मैं पल रही हूँ – बड़े मुक्त और स्वछन्द ढंग से। और पलते पलते एक दिन अचानक बड़ी हो गई। बड़े होने का यह अहसास मेरे अपने भीतर से इतना नहीं फूटा, जितना बाहर से। इसके साथ भी एक दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है।

हुआ यों कि घर के ठीक सामने एक बरसाती है। एक कमरा और उसके सामने फैली छत। उसमें हर साल दो–तीन विद्यार्थी आकर रहते...छत पर घूम–घूम कर पढ़ते, पर कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाने जैसी मेरी उम्र ही नहीं थी। इस बार देखा, वहाँ दो लड़के आए हैं। थे तो वे दो ही, पर शाम तक उनके मित्रों का एक अच्छा–खासा जमघट हो जाता और सारी छत ही नहीं, सारा मोहल्ला तक गुलजार! हंसी मजाक, गाना–बजाना और आसपास की जो भी लड़कियां उनकी नजर के दायरे में आ जातीं, उन पर चुटीली फब्तियाँ। पर उनकी नजरों का असली केंद्र हमारा घर.... और स्पष्ट कहूँ तो मैं ही थी। बरामदे में निकलकर मैं कुछ भी करूँ, उधर से एक न एक रिमार्क हवा में उछलता हुआ टपकता और मैं भीतर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ... और केवल हूँ ही नहीं..... किसी के आकर्षण का केंद्र हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का यह पहला अहसास बड़ा रोमांचक लगा और अपनी ही नजरों में मैं नयी हो उठी... नयी और बड़ी।

अजीब सी स्थिति थी। जब वे फब्तियाँ कसते तो मैं गुस्से से भन्ना जाती– हालांकि उनकी फब्तियों में अशिष्टता कहीं नहीं थी। ..... थी तो केवल मन को सहलाने वाली एक चुहल। पर जब वे नहीं होते या होकर भी आपस में ही मशगूल रहते तो मैं प्रतीक्षा करती रहती.... एक अनाम–सी बेचैनी भीतर ही भीतर कसमसाती रहती। आलम ये है कि हर हालत में ध्यान वहीं अटका रहता और मैं कमरा छोड़कर बरामदे में ही टंगी रहती।

पर इन लड़कों के इस हल्ले–गुल्ले वाले व्यवहार ने मोहल्ले वालों की नींद जरूर हराम कर दी। हमारा मोहल्ला यानि हाथरस। खुरजा के लालाओं की बस्ती। जिनके घरों में किशोरी लड़कियां थीं वे बाहें चढ़ा–चढ़ाकर दाँत और लात तोड़ने की धमकियाँ दे रहे थे क्योंकि सबको अपनी लड़कियों का भविष्य खतरे में जो दिखाई दे रहा था। मोहल्ले में इतनी सरगर्मी और मेरे मम्मी–पापा को कुछ पता ही नहीं। बात असल में यह है कि इन लोगों ने अपनी स्थिति एक द्वीप जैसी बना रखी है। सबके बीच रहकर भी सबसे अलग।

एक दिन मैंने मम्मी से कहा– "मम्मी, ये जो सामने लड़के आए हैं, जब देखो मुझ पर रिमार्क पास करते हैं। मैं चुपचाप नहीं सुनुंगी, मैं भी यहाँ जवाब दूँगी।"

"कौन लड़के?" मम्मी ने आश्चर्य से पूछा।

कमाल है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं। मैंने कुछ खीज और कुछ पुलक के मिले–जुले स्वर से सारी बात बतायी। पर मम्मी पर कोई विशेष प्रतिक्रिया ही नहीं हुई।

"बताना कौन हैं ये लड़के ... "बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने कहा और फिर पढ़ने लगी। अपना छेड़ा जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, उस पर मम्मी की ऐसी उदासीनता मुझे अच्छी नही लगी। कोई और माँ होती तो फेंटा कसकर निकल जाती और उनकी सात पुश्तों को तार देती। पर माँ पर जैसे कोई असर ही नहीं।

दोपहर ढले लड़कों की मजलिस छत पर जमी तो मैंने मम्मी को बताया– "देखो, ये लड़के हैं जो सारे समय इधर उधर देखते रहते हैं और कुछ भी करूँ उस पर फब्तियाँ कसते हैं" पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि मम्मी एकटक मेरी ओर देखती रहीं फिर धीरे से मुस्कुराईं। थोड़ी देर तक छत वाले लड़कों का मुआयना करने के बाद बोलीं– "कल शाम को इन लोगों को चाय पर बुला लेते हैं और तुमसे दोस्ती करवा देते हैं।"

मैं तो अवाक!

"तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी?" मुझे जैसे मम्मी की बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा था।

हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे, यह तो हमारे जमाने में होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर से ही फब्तियाँ कस–कसकर तसल्ली करो। अब तो जमाना बदल गया।"

मैं तो इस विचार–मात्र से ही पुलकित। लगा, माँ सचमुच कोई ऊंची चीज हैं। ये लोग हमारे घर आएंगे और मुझसे दोस्ती करेंगे। एकाएक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी की दोस्ती की सख्त आवश्यकता है। इस मोहल्ले में मेरा किसी से विशेष मेल–जोल नहीं और घर में केवल मम्मी–पापा के दोस्त ही आते हैं।

दूसरा दिन मेरा बहुत ही संशय में बीता। पता नहीं मम्मी अपनी बात पूरी भी करती हैं या यों ही रौ में कह गयी और बात खत्म। शाम को मैंने याद दिलाने के लिए ही कहा– "मम्मी, तुम सचमुच ही इन लड़कों को बुलाने जाओगी?" शब्द मेरे यही थे, वरना भाव तो था कि मम्मी, जाओ न, प्लीज।

और मम्मी सचमुच ही चली गई। मुझे याद नहीं, मम्मी दो–चार बार से अधिक मोहल्ले में किसी के घर गई हो। मैं साँस रोककर उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। एक विचित्र सी थिरकन मैं अंग–प्रत्यंग में महसूस कर रही थी कि कहीं मम्मी साथ ही लेती आई तो? कहीं वे मम्मी से भी बदतमीजी से पेश आए तो? वे ऐसे लगते तो नहीं हैं। कोई घंटे–भर बाद मम्मी लौटीं। बेहद प्रसन्न।

"मुझे देखते ही उनकी तो सिट्टी–पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अभी तक तो लोग अपने–अपने घरों से ही उनके लात–दाँत तोड़ने की धमकी दे रहे थे, मैं जैसे सीधे घर ही पहुँच गई उनकी हड्डी

पसली एक करने, पर फिर तो इतनी खातिर की बेचारों ने की बस! बड़े ही स्वीट बच्चे हैं। बाहर से आए हैं– हॉस्टल में जगह नही मिली इसलिए कमरा लेकर रह रहे हैं। शाम को जब पापा आएंगे तब बुलवा लेंगे।"

प्रतीक्षा में समय इतना बोझिल हो जाता है, यह भी मेरा पहला अनुभव था। पापा आए तो मम्मी ने बड़े उमंग कर सारी बात बताई। सबसे कुछ अलग करने का संतोष और गर्व उनके हर शब्द में से जैसे छलका पड़ रहा था। पापा ही कौन पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सुना तो वे भी प्रसन्न।

"बुलाओ लड़कों को। अरे, खेलने–खाने दो और मस्ती मारने दो बच्चों को। मम्मी–पापा को अपनी आधुनिकता तुष्ट करने का एक जोरदार अवसर मिल रहा था।

परिचय करवाया और 'हलो....हाई का आदान–प्रदान हुआ।

"तनु बेटे, अपने दोस्तों के लिए चाय बनाओ।"

धत्तेरे की। मम्मी के दोस्त आएं तब भी तनु बेटा चाय बनाए और उसके दोस्त आएं तब भी। पर मन मारकर उठी।

चाय–पीना होता रहा। खूब हंसी–मजाक भी चली! ये सफाई पेश करते रहे कि मोहल्ले वाले झूठ–मूठ ही उनके पीछे पड़े रहते हैं..... वे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। 'जस्ट फॉर फन' कुछ कर दिया वरना इस सब का कोई मतलब नहीं।

पापा ने बढ़ावा देते हुए कहा – "अरे, इस उम्र में तो यह सब करना ही चाहिए। हमें मौका मिले तो आज भी करने से बाज न आएं।"

हँसी की एक लहर यहाँ से वहाँ तक दौड गई। कोई घंटे बाद वे चलने लगे तो मम्मी ने कहा– "देखो, इसे अपना ही घर समझो। जब इच्छा हो चले आया करो। हमारी तनु बिटिया को अच्छी कंपनी मिल जाएगी... कभी तुम लोगों से कुछ पढ़ भी लिया करेगी और देखो, कुछ खाने–पीने का मन हुआ करे तो बता दिया करना, तुम्हारे लिए बनवा दिया करूंगी..." और वे लोग पापा के खुलेपन और मम्मी की आत्मीयता और स्नेह पर मुग्ध होते हुए चले गए। बस, जिससे दोस्ती करवाने के लिए उन्हें बुलाया गया था वह बेचारी इस तमाशे की मात्र दर्शक–भर ही बनी रही।

उनके जाने के बाद बड़ी देर तक उनको लेकर ही चर्चा होती रही। अपने घर की किशोर लड़की को छेड़ने वाले लड़कों को घर बुलाकर चाय पिलाई जाए और लड़की से दोस्ती करवाई जाए, यह सारी बात ही बड़ी थ्रीलिंग और रोमांचक लग रही थी। दूसरे दिन से मम्मी हर आने वाले से इस घटना का उल्लेख करती। वर्णन करने में पटु मम्मी नीरस से नीरस बात को भी ऐसा दिलचस्प बना देती हैं, फिर यह तो बात ही बड़ी दिलचस्प थी। जो सुनता वही कहता – "वाह, यह हुई न कुछ बात। आपका बड़ा स्वस्थ दृष्टिकोण है चीजों के प्रति। वरना लोग बातें तो बड़ी–बड़ी करेंगे पर बच्चों को घोटकर रखेंगे और जरा सा शक–शुबहा हो जाए तो बाकायदा जासूसी करेंगे।" और मम्मी इस प्रशंसा से निहाल होती हुई कहती–"और नहीं तो क्या? मुक्त रहो और बच्चों को मुक्त रखो। हम लोगों को बचपन में यह मत करो... यहाँ मत जाओ कह–कहकर कितना बांधा गया था। हमारे बच्चे तो कम से कम इस घुटन के शिकार न हों। पर मम्मी का बच्चा उस समय एक दूसरी ही घुटन का शिकार हो रहा था, और वह यह कि जिस नाटक की हीरोइन उसे बनना था, उसकी हीरोइन मम्मी बन बैठीं।

खैर, इस सारी घटना का परिणाम यह हुआ कि उन लड़कों का व्यवहार एकदम ही बदल गया। जिस शराफत को मम्मी ने उन पर लाद दिया, उसके अनुरूप व्यवहार करना उनकी मजबूरी बन गया। अब जब भी वे अपनी छत पर मम्मी–पापा को देखते तो अदब में लपेटकर एक नमस्कार और मुझे देखते तो मुस्कान में पलटकर एक 'हाई' उछाल देते। फब्तियों की जगह बाकायदा हमारा वार्तालाप शुरू हो गया.... बड़ा खुला और बेझिझक वार्तालाप। हमारे बरामदे और छत में इतना ही फासला था कि जोर से बोलने पर बातचीत की जा सकती थी। हाँ, यह बात जरूर थी कि हमारी बात सारा मोहल्ला सुन सकता था और काफी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही हम लोग चालू होते आस–पड़ोस की खिड़कियों में चार–छह सिर और धड़ आकर चिपक जाते। मोहल्ले में लड़कियों के प्रेम–प्रसंग न हों ऐसी बात तो थी नहीं, बाकायदा लड़कियों के भागने तक की घटनाएँ घट चुकी थीं। पर वह सब–कुछ बड़े गुप्त और छिपे ढंग से होता था। और मोहल्ले वाले जब अपनी पैनी नजरों से ऐसे किसी रहस्य को जान लेते थे तो उन्हें बड़ा संतोष होता था। पुरुष मूँछों पर ताव देकर और स्त्रियाँ हाथ नचा–नचाकर, खूब नमक–मिर्च लगाकर इन घटनाओं का यहाँ से वहाँ तक प्रचार करतीं। कुछ इस भाव से कि अरे, हमने दुनिया देखी है..... हमारी आँखों में कोई नही धूल झोंक सकता। पर यहाँ स्थिति ही उलट गई थी। हमारा वार्तालाप इतने खुलेआम होता था कि लोगों को खिड़कियों की ओट में छिप–छिपकर देखना–सुनना पड़ता था और सुनकर भी ऐसा कुछ उनके हाथ नहीं लगता था जिससे वे कुछ आत्मिक संतोष पाते।

पर बात को बढ़ना था, बढ़ी। हुआ यह कि धीरे–धीरे छत की मजलिस मेरे अपने कमरे में जमने लगी। रोज ही कभी दो, तीन या चार लड़के आकर जम जाते और दुनिया–भर के हँसी–मजाक और गपशप का दौर चलता। गाना–बजाना भी होता

और चाय–पानी भी। शाम को मम्मी–पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई न कोई बैठा ही होता। शुरू में जिन लोगो ने 'मुक्त रहो और मुक्त रखो' की बड़ी प्रशंसा की थी, उन्होंने मुक्त रहने का जो रूप देखा तो उनकी आँखों में भी कुछ अजीब–सी शंकाएँ तैरने लगीं। मम्मी के एकाध मित्र ने दबी जुबान में dgk Hkh–ru rk cMh QkLV चल रही है।' मम्मी का अपना सारा उत्साह मंद पड़ गया था और लीक से हटकर कुछ करने की थ्रिल पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें इस नंगी सच्चाई को झेलना था कि उनकी निहायत कच्ची और नाजुक उम्र की लड़की तीन–चार लड़कों के बीच घिरी रहती है। और मम्मी की स्थिति यह थी कि वे न इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थीं और न अपने ही द्वारा बड़े जोश में शुरू किए इस सिलसिले को नकार ही पा रही थीं।

कितना ही दब–छिपकर आता और मम्मी घर के किसी कोने में होती....फट से प्रकट हो जातीं या फिर वहीं से पूछतीं –''तनु, कौन है तुम्हारे कमरे में?''

मैंने देखा कि शेखर के इस रवैये से मम्मी पर एक अजीब–सी परेशानी झलकने लगी है। पर मम्मी इस बात को लेकर यों परेशान हो उठेंगी, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस घर में रात–दिन तरह–तरह के प्रेम–प्रसंग ही पीसे जाते रहे हों – कुंआरों के प्रेम–प्रसंग, विवाहितों के प्रेम–प्रसंग, दो तीन प्रेमियों से एक साथ चलने वाले प्रेम–प्रसंग – उस घर के लिए तो यह बात बहुत ही मामूली होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एकाध से प्रेम भी हो सकता है। मम्मी ने शायद समझ लिया था कि यह सारी स्थिति आजकल की कलात्मक फिल्मों की तरह चलेगी–जिनकी वे बड़ी प्रशंसक और समर्थक है – पर जिनमें शुरू से लेकर आखिर तक कुछ भी सनसनीखेज घटता ही नहीं।

जो भी हो, मम्मी की इस परेशानी ने मुझे भी कहीं हल्के से विचलित जरूर कर दिया। मम्मी मेरी माँ ही नहीं, मित्र और साथिन भी हैं। दो घनिष्ठ मित्रों की तरह ही हम दुनिया–जहान की बातें करते हैं – हँसी–मजाक करते हैं। मैं चाहती थी कि वे इस बारे में भी कोई बात करें पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बस, जब शेखर आता तो वे अपनी स्वभावगत लापरवाही छोड़कर बड़े सहज भाव से मेरे कमरे के इर्द–गिर्द ही मंडराती रहती।

एक दिन मम्मी के साथ बाहर जाने के लिए मैं नीचे उतरी तो दरवाजे पर ही पड़ोस की एक भद्र महिला टकरा गई। नमस्कार और कुशल–क्षेम के आदान–प्रदान के बाद वे बात के असली मुद्दे पर आई।

"ये सामने की छत वाले लड़के आपके रिश्तेदार हैं क्या?"

नहीं तो।"

"अच्छा ? शाम को रोज ही आपके घर बैठे रहते हैं। तो सोचा आपके जरूर कुछ लगते होंगे?"

"तनु के दोस्त हैं।" मम्मी ने कुछ ऐसी लापरवाही और निस्संकोच भाव से यह वाक्य उछाला कि बेचारी तीर निशाने पर न लगने का गम लिए ही लौट गई।

वे तो लौट गईं पर मुझे लगा कि इस बात का सूत्र पकड़कर ही मम्मी अब जरूर मेरी थोड़ी धुनाई कर देंगी। कहने वाली का तो कुछ न बना, पर मेरा कुछ बिगड़ने का हथियार तो मम्मी के हाथ में आ ही गया। बहुत दिनों से उनके अपने मन में भी कुछ उमड़–घुमड़ तो रहा ही है पर मम्मी ने इतना ही कहा–"लगता है, इनके अपने घर में कोई धंधा नहीं है.....जब देखो दूसरे के घर में चोंच गड़ाए रहते हैं।"

आखिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा – "तनु बेटे, ये लोग रोज–रोज यहाँ आकर जम जाते हैं। आखिर तुमको पढ़ना लिखना भी तो है। मैं तो देख रहीं हूँ कि इस दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई–लिखाई सब चौपट हुई जा रही है। इस तरह तो यह सब चलेगा नहीं।"

"रात को पढ़ती तो हूँ।" लापरवाही से मैंने कहा।

"खाक पढ़ती है रात को, समय ही कितना मिलता है? और फिर यह रोज–रोज की धमा चौकड़ी मुझे वैसे भी पसंद नही। ठीक है, चार–छह दिन में कभी आ गए, गपशप कर ली, पर यहाँ तो एक न एक रोज ही डटा रहता है।" मम्मी के स्वर में आक्रोश का पुट गहरता जा रहा था।

मम्मी की यह टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप।

"तू तो उनसे बहुत खुल गई है। कह दे कि वे लोग भी बैठकर पढ़ें और तुझे भी पढ़ने दें। और तुझसे न कहा जाए तो मैं कह दूँगी।"

पर किसी के भी कहने की नौबत नहीं आई। कुछ तो पढ़ाई के डर से, कुछ दिल्ली के दूसरे आकर्षण से खिंचकर होस्टल वाले लड़कों का आना कम हो गया। पर सामने के कमरे से शेखर रोज ही आ जाता.... कभी दोपहर में तो कभी शाम को। तीन–चार लोगों की उपस्थिति में उसकी जिस बात पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वही बात अकेले में सबसे अधिक उजागर होकर आई। वह बोलता कम था, पर शब्दों के परे बहुत कुछ कहने की कोशिश करता था और एकाएक ही मैं उसकी अनकही भाषा समझने लगी थी..... केवल समझने ही नहीं लगी थी, प्रत्युत्तर भी देने लगी थी। जल्दी ही मेरी समझ में आ गया कि शेखर और मेरे बीच प्रेम

जैसी कोई चीज पनपने लगी है। यों तो शायद मैं समझ नहीं पाती, पर हिन्दी फिल्में देखने के बाद इसको समझने में खास मुश्किल नहीं हुई।

जब तक मन में कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ बड़ा खुला था पर जैसे ही 'कुछ' हुआ तो उसे औरों की नजर से बचाने की इच्छा भी साथ ही आई। जब कभी दूसरे लड़के आते तो सीढ़ियों से ही शोर करते आते... जोर–जोर से बोलते, लेकिन शेखर जब भी आता रेंगता हुआ आता और फुसफुसाकर हम बातें करते। वैसे बातें बहुत ही साधारण होती थीं, स्कूल की, कॉलेज की। पर फुसफुसाकर करने में ही वे कुछ विशेष लगती थीं। प्रेम को कुछ रहस्यमय, कुछ गुपचुप बना दो तो वह बड़ा थ्रिलिंग हो जाता है वरना तो एकदम सीधा–सपाट! पर मम्मी के पास घर और घरवालों के हर रहस्य को जान लेने की एक छठी इंद्रिय है और जिससे पापा भी काफी त्रस्त रहते हैं..... उससे उन्हें यह सब समझने में जरा भी देर नहीं लगी। मैं आश्वस्त ही नहीं हुई, बल्कि मम्मी की ओर से हरा सिगनल समझकर मैंने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी। पर इतना जरूर किया कि शेखर के साथ तीन घंटों में से एक घंटा जरूर पढ़ाई में गुजारती। वह बहुत मन लगाकर पढ़ाता और मैं बहुत मन लगाकर पढ़ती। हाँ, बीच–बीच में वह कागज की छोटी–छोटी पर्चियों पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिखकर थमा देता कि मैं भीतर तक झनझना जाती। उसके जाने के बाद भी उन पंक्तियों के वे शब्द, शब्दों के पीछे के भाव मेरी रग–रग में सनसनाते रहते और मैं उन्हीं में डूबी रहती।

मेरे भीतर अपनी ही एक दुनिया बनती चली जा रही थी। बड़ी भरी–पूरी और रंगीन। आजकल मुझे किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लगता जैसे मैं अपने में ही पूरी हूँ। हमेशा साथ रहने वाली मम्मी भी आउट होती जा रही है और शायद यही कारण है कि इधर मैंने मम्मी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। रोजमर्रा की बातें तो होती हैं, पर केवल बातें ही होती हैं। उसके परे कहीं कुछ नहीं।

दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने में ही डूबी, अपनी दुनिया में और गहरे धँसती जा रही थी, बाहर की दुनिया से एक तरह से बेखबर–सी।

एक दिन स्कूल से लौटी, कपड़े बदले। शोर–शराबे के साथ खाना माँगा, मीन–मेख के साथ खाना खाया और जब कमरे में घुसी तो मम्मी ने लेटे–लेटे ही बुलाया – "तनु इधर आओ।"

पास आई तो पहली बार ध्यान गया कि मम्मी का चेहरा तमतमा रहा है। मेरा माथा ठनका। उन्होंने साइड टेबल पर से एक किताब उठाई और उसमें से कागज की पाँच–छह पर्चियाँ निकालकर सामने कर दीं। "तौबा'! मम्मी से कुछ पढ़ना था तो जाते समय उन्हें अपनी किताब दे गई थी। गलती से शेखर की लिखी पर्चियाँ उसी में रह गई।

"तो इस तरह चल रही है शेखर और तुम्हारी दोस्ती? यही पढ़ाई होती है यहाँ बैठकर... यही सब करने के लिए आता है वह यहाँ?"

मैं चुप। जानती हूँ, गुस्से में मम्मी को जवाब देने से बढ़कर मूर्खता और कोई नहीं।

"तुमको छूट दी..... आजादी दी, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाओ।"

मैं फिर चुप।

"बित्ते–भर की लड़की और करतब देखो इनके। जितनी छूट दो उतने ही पैर पसरते जा रहे हैं। एक झापड़ दूँगी तो सारा रोमांस झड़ जाएगा दो मिनट में....."

इस वाक्य पर मैं एकाएक तिलमिला उठी। तमककर नजर उठाई और मम्मी की तरफ देखा–पर यह क्या, यह तो मेरी मम्मी नहीं हैं। न यह तेवर मम्मी का है, न यह भाषा। फिर भी ये सारे वाक्य बहुत परिचित–से लगे। लगा, यह सब मैंने कहीं सुना है और खटाक से मेरे मन में कौंधा – नाना! पर नाना को मरे तो कितने साल हो गए, ये फिर जिंदा कैसे हो गए? और वह भी मम्मी के भीतर .... जो होश संभालने के बाद हमेशा उनसे झगड़ा ही करती रही..... उनकी हर बात का विरोध ही करती रहीं।

मम्मी का 'नानई' लहजे वाला भाषण काफी देर तक चालू रहा, पर वह सब मुझे कहीं से भी छू नहीं रहा था..... बस, कोई बात झकझोर रही थी तो यही कि मम्मी के भीतर नाना कैसे आ बैठे?

और फिर घर में एक विचित्र–सा तनावपूर्ण मौन छा गया। खासकर मेरे और मम्मी के बीच। नहीं, मम्मी तो घर में रहती ही नहीं, मेरे और नाना के बीच। मैं मम्मी को अपनी बात समझा भी सकती हूँ, उनकी बात समझ भी सकती हूँ, – पर नाना? मैं तो इस भाषा से भी अपरिचित हूँ और इस तेवर से भी, बात करने का प्रश्न ही कैसे उठता? पापा जरूर मेरे दोस्त हैं, पर बिलकुल दूसरी तरह के। शतरंज खेलना, पंजा लड़ना और जो फरमाइश मम्मी पूरी न करें, उनसे पूरी करवा लेना। बचपन में उनकी पीठ पर लदी रहती थी और आज भी बिना किसी झिझक के उनकी पीठ पर लदकर अपनी हर इच्छा पूरी करवा लेती हूँ। पर इतने 'माई डियर दोस्त' होने के बावजूद अपनी निजी बातें मैं मम्मी के साथ ही करती आई हूँ। और वहाँ एकदम सन्नाटा–मम्मी को पटखनी देकर नाना पूरी तरह उन पर सवार जो हैं।

शेखर को मैंने इशारे से ही लाल झंडी दिखा दी थी सो वह भी नहीं आ रहा और शाम का समय है कि मुझसे काटे नहीं कटता।

कई बार मन हुआ कि मम्मी से जाकर बात करूँ और साफ–साफ पूछूं कि तुम इतना बिगड़ क्यों रही हो? मेरी और शेखर की दोस्ती के बारे में जानती तो हो। मैंने तो कभी कुछ छिपाया नहीं। और दोस्ती है तो यह सब तो होगा ही। तुम क्या समझ रही थीं कि हम भाई–बहन की तरह.... पर तभी ख्याल आता कि मम्मी है ही कहाँ, जिनसे जाकर यह सब कहूँ।

चार दिन हो गए, मैंने शेखर की सूरत तक नहीं देखी। मेरे हल्के से इशारे से ही उस बेचारे ने तो घर क्या, छत पर आना छोड़ दिया। होस्टल में रहने वाले उसके साथी भी छत पर न दिखाई दिए, न घर ही आए। कोई आता तो कम से कम उसका हालचाल ही पूछ लेती। मैं जानती हूँ, वह बेवकूफी की हद तक भावुक है। उसे तो ठीक से यह भी नही मालूम कि आखिर यहाँ हुआ क्या? लगता है, मम्मी के गुस्से की आशंका मात्र से ही सबके हौसले पस्त हो गए थे।

वैसे कल से मम्मी के चेहरे का तनाव कुछ ढीला जरूर हुआ है। तीन दिन से जमी हुई सख्ती जैसे पिघल गई हो। पर मैंने तय कर लिया है कि बात अब मम्मी ही करेंगी।

सवेरे नहा–धोकर मैं दरवाजे के पीछे अपनी यूनिफार्म प्रेस कर ही थी। बाहर मेज पर मम्मी चाय बना रही थीं और पापा अखबार में सिर गड़ाए बैठे थे। मम्मी को शायद मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कब नहाकर बाहर निकाल आई। वे पापा से बोलीं–"जानते हो, कल रात को क्या हुआ? पता नहीं, तब से मन बहुत खराब हो गया – उसके बाद मैं तो सो ही नहीं पाई।"

मम्मी के स्वर की कोमलता से मेरा हाथ जहाँ का तहाँ थम गया और कान बाहर लग गए।

"आधी रात के करीब मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। सामने छत पर घुप्प अँधेरा छाया हुआ था। अचानक एक लाल सितारा–सा चमक उठा। मैं चौंकी। गौर से देखा तो धीरे–धीरे एक आकृति उभर आई। शेखर छत पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं चुपचाप लौट आई। कोई दो घंटे बाद फिर गई तो देखा, वह उसी तरह छत पर टहल रहा था। बेचारा..... मेरा मन जाने कैसा हो आया। तनु भी कैसी बुझी–बुझी रहती है...." फिर जैसे अपने को ही धिक्कारती–सी बोली, "पहले तो छूट दो और फिर जब आगे बढ़ें तो खींचकर चारों खाने चित कर दो। यह भी कोई बात हुई भला।"

राहत की एक गहरी निःश्वास मेरे भीतर से निकल पड़ी। जाने कैसा आवेग मन में उमड़ा कि इच्छा हुई दौड़कर मम्मी के गले से लग जाऊँ। लगा जैसे अरसे के बाद मेरी मम्मी लौट आई हो। पर मैंने कुछ नहीं कहा। बस, अब खुलकर बात करूँगी। चार दिन से न जाने कितने प्रश्न मन में घुमड़ रहे थे। अब क्या, अब तो मम्मी हैं और उनसे तो कम से कम सब कहा–पूछा जा सकता है।

पर घर पहुँचकर जो देखा तो अवाक! शेखर हथेलियों में सिर थामे कुर्सी पर बैठा है और मम्मी उसी कुर्सी के हत्थे पर बैठी उसकी पीठ और माथा सहला रही हैं। मुझे देखते ही बड़े सहज–स्वाभाविक स्वर में बोलीं– "देखा इस पगले को। चार दिन से ये साहब कॉलेज नहीं गए हैं। न ही कुछ खाया–पिया है। अपने साथ इसका भी खाना लगवाना।"

और फिर मम्मी ने खुद बैठकर बड़े स्नेह से मनुहार कर–करके उसे खाना खिलाया। खाने के बाद कहने पर भी शिखर ठहरा नहीं। मम्मी के प्रति कृतज्ञता के बोझ से झुका–झुका ही वह लौट गया और मेरे भीतर खुशी का ऐसा ज्वार उमड़ा कि अब तक के सोचे सारे प्रश्न उसी में बिला गए। सारी स्थिति को समय पर आने में समय तो लगा, पर आ गई। शेखर ने भी अब एक दो दिन छोड़कर आना शुरू किया और आता भी तो अधिकतर हम लिखाई–पढ़ाई की ही बातें करते। अपने किए पर शर्मिंदगी प्रकट करते हुए उसने मम्मी से वायदा किया कि वह अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे मम्मी को शिकायत हो। जिस दिन वह नहीं आता, मैं दो–तीन बार थोड़ी–थोड़ी देर के लिए अपने बरामदे से ही बात कर लिया करती। घर की अनुमति और सहयोग से यों सरेआम चलने वाले इस प्रेम–प्रसंग में मोहल्ले वालों के लिए भी कुछ नहीं रह गया था और उन्होंने इस जानलेवा जमाने के नाम दो–चार लानतें भेजकर, किसी गुल खिलने तक के लिए अपनी दिलचस्पी को स्थगित कर दिया।

लेकिन एक बात मैंने जरुर देखी। जब भी शेखर शाम को कुछ ज्यादा देर बैठ जाता या दोपहर में भी आ जाता तो मम्मी के भीतर नाना कसमसाने लगते और उसकी प्रक्रिया मम्मी के चेहरे पर झलकने लगती। मम्मी भरसक कोशिश करके नाना को बोलने तो नहीं देतीं, पर उन्हें पूरी तरह हटा देना भी शायद मम्मी के बस की बात नहीं रह गई थी।

हाँ, यह प्रसंग मेरे और मम्मी के बीच में अब रोजमर्रा की बातचीत का विषय जरूर बन गया था। कभी वे मजाक में कहतीं–"यह जो तेरा शेखर है न, बड़ा लिजलिजा–सा लड़का है। अरे, इस उम्र में लड़कों को चाहिए घूमें, फिरें .... मस्ती मारें। क्या मुहर्रमी–सी सूरत बनाए मजनू की तरह छत पर टंगा सारे समय इधर ही ताकता रहता है।"

मैं केवल हँस देती।

कभी बड़ी भावुक होकर कहतीं–"तू क्यों नहीं समझती बेटे, कि तुझे लेकर कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे मन में। तेरे भविष्य को लेकर कितने सपने सँजो रखे हैं मैंने।"

मैं हँसकर कहती – "मम्मी, तुम भी कमाल करती हो। अपनी जिंदगी को लेकर भी तुम सपने देखो और मेरी जिंदगी के सपने भी तुम्हीं देख डालो.... कुछ सपने मेरे लिए भी तो छोड़ दो।"

कभी वे समझाने के लहजे में कहतीं –"देखो तनु, अभी तुम बहुत छोटी हो। अपना सारा ध्यान पढ़ने–लिखने में लगाओ और दिमाग से ये उल्टे–सीधे फितूर निकाल डालो। ठीक है, बड़े हो जाओ तो प्रेम भी करना और शादी भी। मैं तो वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने वाली नहीं हूँ, अपने–आप ही ढूंढना, पर इतनी अक्ल तो आ जाए कि ढंग का चुनाव कर सको।" अपने चुनाव के रिजेक्शन को मैं समझ जाती और पूछती–"अच्छा मम्मी, बताओ, जब तुमने पापा को चुना था तो नाना को वह पसंद था?

"मेरा चुनाव! अपनी सारी पढ़ाई–लिखाई खत्म करके पच्चीस साल की उम्र में चुनाव किया था मैंने, खूब सोच–समझकर और अक्ल के साथ, समझी।"

मम्मी अपनी बौखलाहट को गुस्से में छिपाकर कहती। उम्र और पढ़ाई–लिखाई, ये दो ही तो ऐसे मुद्दे हैं जिनपर मम्मी मुझे जब तब धौंसती रहती हैं। पढ़ने लिखने में मैं अच्छी थी और रहा उम्र का सवाल, सो उसके लिए मन होता कि कहूँ–'मम्मी, तुम्हारी पीढ़ी जो काम पच्चीस साल की उम्र में करती थी, हमारी उसे पंद्रह साल की उम्र में ही करेगी इसे तुम क्यों नहीं समझती।" पर चुप रह जाती। नाना का जिक्र तो चल ही पड़ा है, कहीं वे ही जाग उठे तो?

छमाही परीक्षाएँ पास आ गयी थीं और मैंने सारा ध्यान पढ़ने में लगा दिया था । सबका आना और गाना–बजाना एकदम बंद। इन दिनों मैंने इतनी जमकर पढ़ाई की कि मम्मी का मन प्रसन्न हो गया, शायद कुछ आश्वस्त भी। आखिरी पेपर देने के पश्चात लग रहा था कि एक बोझ था, जो हट गया है। मन बेहद हल्का होकर कुछ मस्ती मारने को कर रहा था।

मैंने मम्मी से पूछा–"मम्मी, कल शेखर और दीपक पिक्चर जा रहे हैं, मैं भी साथ चली जाऊँ? आज तक मैं इन लोगों के साथ कभी घूमने नहीं गई थी – पर इतनी पढ़ाई करने के बाद अब इतनी छूट तो मिलनी ही थी।

मम्मी एक क्षण मेरा चेहरा देखती रहीं, फिर बोलीं– "इधर आ, यहाँ बैठ। तुझसे कुछ बात करनी है।"

मैं जाकर बैठ गई, पर यह न समझ आया कि इसमें बात करने को क्या है– हाँ कहूँ या ना।

लेकिन मम्मी को बात करने का मर्ज जो है। उनकी तो हाँ–ना भी पचास–साठ वाक्यों में लिपटे बिना नहीं निकल सकती।

"तेरे इम्तिहान खत्म हुए हैं, मैं तो खुद पिक्चर का प्रोग्राम बना रही थी। बोल, कौन–सी पिक्चर देखना चाहती है?

"क्यों, उन लोगों के साथ जाने में क्या है ?" मेरे स्वर में इतनी खीज भरी हुई थी कि मम्मी एकटक मेरा चेहरा ही देखती रह गई।

"तनु, तुझे पूरी छूट दे रखी है बेटे, पर इतना ही तेज चल कि मैं भी साथ तो चल सकूँ।

"तुम साफ कहो न, कि जाने दोगी या नहीं? बेकार की बातें... मैं भी साथ चल सकूँ – तुम्हारे साथ चल सकने की बात भला कहाँ से आ गई।"

मम्मी ने पीठ सहलाते हुए कहा – "साथ तो चलना ही पड़ेगा। कभी औंधे मुँह गिरी तो कोई उठाने वाला भी तो चाहिए ना?"

मैं समझ गयी कि मम्मी नहीं जाने देंगी, पर इस तरह प्यार से मना करती है तो झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता। बहस करने का सीधा–सा मतलब है कि उनका बघारा हुआ दर्शन सुनो ;kfu ipkl मिनट की एक क्लास। पर मैं कतई नहीं समझ पाई कि जाने में आखिर हर्ज क्या है? हर बात में ना–नुकुर। कहाँ तो कहती थीं कि बचपन में, यह मत करो, यहाँ मत जाओ कहकर हमको बहुत डाँटा गया था और खुद अब वही सब कर रही हैं। देख लिया इनकी बड़ी–बड़ी बातों को। मैं उठी और दनदनाती हुई अपने कमरे में आ गई। हाँ, एक वाक्य जरूर थमा आई – "मम्मी जो चलेगा, वह गिरेगा भी और जो गिरेगा, वह उठेगा भी और खुद ही उठेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं है।"

पता नहीं, मेरी बात की उन पर प्रतिक्रिया हुई या उनके मन में ही कुछ जागा कि शाम को उन्होंने खुद शेखर और उसके कमरे पर आए तीनों–चारों लड़कों को बुलवाकर मेरे ही कमरे में मजलिस जमवाई और खूब गरम–गरम खाना खिलवाया। कुछ ऐसा रंग जमा कि मेरा दोपहर वाला आक्रोश धुल गया।

इम्तिहान खत्म हो गए थे और मौसम सुहाना था। मम्मी का रवैया भी अनुकूल था सो दोस्ती का स्थगित हुआ सिलसिला फिर शुरू हो गया और आजकल तो जैसे उसके सिवाय कुछ रह ही नहीं गया था। पर फिर एक झटका।

उस दिन मैं अपनी सहेली के घर से लौटी तो मम्मी की सख्त आवाज सुनाई दी – "तनु, इधर आओ तो।"

आवाज से ही लगा कि खतरे का सिग्नल है। एक क्षण को मैं सकते में आ गई। पास गई तो चेहरा पहले की तरह सख्त।

"तुम शेखर के कमरे पर जाती हो?" मम्मी ने बंदूक दागी। समझ गई कि पीछे गली में से किसी ने अपना करतब कर दिखाया।

"कब से जाती हो?"

मन तो हुआ कि कहूँ जिसने जाने की खबर दी है, उसने बाकी बातें भी बता दी होंगी..... कुछ जोड़–तोड़कर ही बताया होगा। पर मम्मी जिस तरह भभक रही थीं, उसमें चुप रहना ही बेहतर समझा। वैसे मुझे मम्मी के इस गुस्से का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। दो–तीन बार यदि मैं थोड़ी–थोड़ी देर के लिए शेखर के कमरे पर चली ही गई तो ऐसा क्या गुनाह हो गया? पर मम्मी का हर काम सकारण तो होता नहीं.... बस, वे तो मूड पर ही चलती हैं।

अजीब मुसीबत थी, गुस्से में मम्मी से बात करने का मतलब नहीं..... और मेरी चुप्पी मम्मी के गुस्से को और भड़का रही थी।

"याद नहीं है, मैंने शुरू में ही तुम्हें मना कर दिया था कि उनके कमरे पर कभी नहीं जाओगी। तीन–तीन घंटे वह यहाँ धूनी रमाकर बैठता है, उसमें जी भरा नहीं तुम्हारा?"

दुख, क्रोध और आतंक की परतें उनके चेहरे पर गहरी होती जा रही थीं और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे उन्हें सारी स्थिति समझाऊँ?

"वह तो बेचारे सामने वालों ने मुझे बुलाकर आगाह कर दिया – जानती है, यह सिर आज तक किसी के सामने झुका नहीं, पर वहाँ मुझसे आँख नहीं उठाई गई। मुँह दिखाने लायक मत रखना हमको कभी भी। सारी गली में थू–थू हो रही है। नाक कटाकर रख दी।"

गजब!

इस बार तो सारा मोहल्ला ही बोलने लगा मम्मी के भीतर से। आश्चर्य है कि जो मम्मी आज तक अपने आसपास से बिलकुल कटी हुई थीं..... जिसका मजाक ही उड़ाया करती थीं....आज कैसे उसके सुर में सुर मिलकर बोल रही थी।

मम्मी का भाषण बदस्तूर चालू... पर मैंने तो अपने कान के स्विच ही ऑफ कर लिए। जब गुस्सा ठंडा होगा... मम्मी अपने में लौट आएँगी तब समझा दूँगी। मम्मी, इस छोटी–सी बात को तुम नाहक इतना तूल दे रही हो।

पर जाने कैसी डोज लेकर आई हैं इस बार कि उनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा और हुआ यह है कि अब उनके गुस्से से मुझे गुस्सा चढ़ने लगा।

फिर घर में एक अजीब–सा तनाव बढ़ गया। इस बार मम्मी ने शायद पापा को भी सब–कुछ बता दिया है। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं ... वे शुरू से ही इस सारे मामले में आउट ही रहे पर इस बार उनके चेहरे पर भी एक अनकहा तनाव दिखाई दे रहा है।

कोई दो महीने पहले जब इस तरह की घटना हुई थी तो मैं भीतर तक सहम गई थी, पर इस बार मैंने तय कर लिया है कि इस सारे मामले में मम्मी को यदि नाना बनकर ही व्यवहार करना है तो मुझे भी फिर मम्मी की तरह ही मोर्चा लेना होगा उनसे... और मैं जरूर लूँगी। दिखा तो दूँ कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, और तुम्हारे ही नक्शे–कदम पर चली हूँ। खुद तो लीक से हटकर चली थीं..... सारी जिंदगी इस बात की घुट्टी पिलाती रहीं, पर मैंने जैसे ही अपना पहला कदम रखा, घसीटकर मुझे अपनी ही खींची लीक पर लाने के दंद–फंद शुरू हो गए।

मैंने मन में ढेर सारे तर्क सोच डाले कि एक दिन बाकायदा मम्मी से बहस करूंगी। साफ–साफ कहूँगी कि मम्मी, इतने ही बंधन लगाकर रखना था तो शुरू से वैसे पालतीं। क्यों झूठ–मूठ आजादी देने की बातें करती–सिखाती रहीं। पर इस बार मेरा भी मन सुलगकर इस तरह राख हो गया था कि मैं गुमसुम–सी अपने ही कमरे में पड़ी रहती। मन बहुत भर आता तो रो लेती। घर में सारे दिन हँसती–खिलखिलाती रहने वाली मैं एकदम चुप होकर अपने में सिमट गई थी। हाँ, एक वाक्य जरूर बार–बार दोहरा रही थी – 'मम्मी, मुझे अच्छी तरह समझ लो कि मैं भी अपने मन की ही करूंगी।' हालाँकि मेरे मन में क्या है, इसकी कोई भी रूपरेखा मेरे सामने न थी।

मुझे नहीं मालूम कि इन तीन–चार दिनों में बाहर क्या हुआ। घर–बाहर की दुनिया से कटी, अपने ही कमरे में सिमटी, मैं मम्मी से मोर्चा लेने के दाँव सोच रही थी।

पर आज दोपहर मुझे कतई–कतई अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब मैंने मम्मी को अपने बरामदे से ही चिल्लाते हुए सुना–"शेखर कल तो तुम लोग छुट्टियों में अपने घर चले जाओगे, आज अपने दोस्तों के साथ खाना इधर ही खाना।"

नहीं जानती, किस जद्दोजहद से गुजरकर मम्मी इस स्थिति पर पहुंची होंगी।

और रात को शेखर, दीपक और रवि के साथ खाने की मेज पर डटा हुआ था। मम्मी उतने ही प्रेम से खाना खिला रही थी.... पापा वैसे ही खुले ढंग से मजाक कर रहे थे, मानो बीच में कुछ घटा ही न हो। अगल–बगल की खिड़कियों में दो–चार सिर चिपके हुए थे। सब कुछ पहले की तरह बहुत सहज–स्वाभाविक हो उठा था। केवल मैं इस सारी स्थिति से एकदम तटस्थ होकर यही सोच रही थी कि नाना पूरी तरह नाना थे – शत–प्रतिशत और इसी से मम्मी के लिए लड़ना कितना आसान हो गया होगा। पर इन मम्मी से लड़ा भी कैसे जाए जो एक पल नाना होकर जीती हैं तो एक पल मम्मी होकर।

thuk bl h dk uke g% nrkjh uk;d*

ओडिशा के क्योंझर जिले के एक छोटे से गाँव बैतरणी में रहने वाले दैतारी ने शुरु से पानी के भारी संकट के कारण बहुत दुश्वारियां झेलीं। गाँव में पीने के पानी की भारी किल्लत थी। यही हाल सिंचाई का था। पूरा परिवार साल भर खेतों में मेहनत करता और सिंचाई के समय बारिश नहीं होने की वजह से फसल तबाह हो जाती। गाँव में बारिश के अलावा सिंचाई का अन्य कोई साधन नहीं था। दशकों बीत गए, पर हालात नहीं सुधरे। बारिश नहीं होने के कारण भुखमरी के हालात थे। गरीबी की वजह से गाँव वालों का जीवन बदतर था। बच्चों को न भरपेट भोजन मिलता था और न तन पर कपड़े। शिक्षा का हाल भी बुरा था। दैतारी कहते हैं – जब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजते। तब दो वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ी चुनौती था।

दैतारी परेशान थे। आखिर क्या किया जाए? गाँव वालों से चर्चा की। सबने कहा कि अगर प्रशासन चाहे, तो पहाड़ी रास्ते को काटकर गाँव तक नहर लाई जा सकती है। यही एक तरीका है फसलों को बचाने का। दैतारी ने गाँव वालों के संग मिलकर प्रशासन से गुहार लगाई। सरकारी दफ्तरों के तमाम चक्कर काटे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार वादे किए जाते। कई बार तो अफसरों ने उन्हें डाँटकर लौटा दिया। फिर गाँव वालों ने भी साथ छोड़ दिया। सब निराश थे, अब कुछ नहीं हो सकता। हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। यह बात वर्ष 2010 की है। दैतारी के मन में बड़ी बेचैनी थी। मन में एक ही बात गूँज रही थी। काश, गाँव में नहर आ जाए। ऐसा हुआ, तो फसलें अच्छी होंगी, भरपेट खाना मिलेगा, बच्चे स्कूल जाएंगे और गाँव के हालात सुधर जाएंगे। वह दिन–रात इसी धुन में थे। एक दिन उन्होंने अपने भाइयों से कहा – क्यों न हम खुद पहाड़ की कटाई शुरु कर दें? यह सुनते ही घर वालों को हंसी आ गई। वे बोले – दादा, पहाड़ काटना मजाक नहीं है। यह हमारे बस की बात नहीं है। दैतारी कहते हैं–खेती के अलावा हमारे पास जीने का कोई सहारा नहीं था। खेत सूख रहे थे। हमारे पास पहाड़ी काटकर नहर लाने का विकल्प था, पर कोई मेरी मदद को तैयार नहीं था। सब भगवान के भरोसे जी रहे थे।

* *साभार: दैनिक हिंदुस्तान*

पर दैतारी ठान चुके थे। चाहे जो हो, हालात तो बदलकर ही रहूंगा। जब घर के लोग उसके साथ नहीं आए, तो एक दिन वह अकेले ही निकल पड़े गोनासिका पहाड़ी को तोड़ने। औजार के नाम पर उनके पास खुरपी और कुदाल थे। पहाड़ी पर चढ़कर सबसे पहले उन्होंने बड़ी–बड़ी झाड़ियां साफ कीं। कई दिन लगे इस काम में। इसके बाद उन्होंने चट्टान को तोड़ना शुरु किया। दिन–रात इस काम में जुटे रहे। देर रात थककर घर लौटते और बिना कुछ कहे–सुने सो जाते। अगली सुबह फिर निकल पड़ते अपने काम पर। अजीब–सी धुन सवार हो गयी थी उन पर। वह हर हाल में नहर का पानी अपने गाँव मं लाना चाहते थे। इस बीच परिवार ने कई बार रोका उन्हें। खूब समझाया गया। भाइयों ने कहा – अकेले नहीं होगा आपसे। तबियत खराब हो जाएगी। गाँव वालों ने खूब हुसी उड़ाई। सबको लग रहा था एक दिन हारकर वह यह काम बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दैतारी नहीं रुके। करीब चार महीने तक वह अकेले दम पत्थर तोड़ते रहे। फिर परिवार वालों से नहीं रहा गया। एक दिन वे भी पहाड़ी पर पहुंच गए। यहाँ का नजारा देखकर वे दंग रह गए। दैतारी ने अकेले दम पहाड़ी का काफी हिस्सा तोड़ दिया था। यह देख परिवार को उम्मीद जगी कि अगर सब मिलकर पहाड़ तोड़ें, तो नहर को गाँव तक लाना संभव है।

इसके बाद उनके चार भाई और उनके बच्चे चट्टान तोड़ने के काम में जुट गए। सबने फावड़ा–कुदाल उठाया और कहा, हम सब आपकी मदद करेंगे। दैतारी कहते हैं, चार महीने मैं अकेले दम चट्टानें तोड़ता रहा। इसके बाद घर वालों को यकीन हो गया कि नहर निकाली जा सकती है। इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। पूरे परिवार ने करीब चार साल तक कड़ी मेहनत की पहाड़ी तोड़ने में। वर्ष 2014 में उनका सपना पूरा हुआ। वे गाँव तक तीन किमी लंबी नहर निकालने में सफल रहे। इसके बाद तो मानो गाँव में क्रांति–सी आ गई। नहर के पानी से करीब सौ एकड़ जमीन पर सिंचाई होने लगी। किसान धान, सरसों और मक्का उगाने लगे। उनके भाई मायाधर नायक बताते हैं–हमें चार साल लगे नहर लाने में। आज गाँव वालों के चेहरे पर मुस्कराहट देखता हूँ, तो लगता है कि हमारी बड़ी जीत हुई।

गाँव में नहर पहुंचने के बाद हर तरफ दैतारी की चर्चा होने लगी। लोग यह कारनामा देखकर दंग थे। दूरदराज के लोग भी यह खबर सुनकर उनके गाँव पहुंचे और उनके हौसले की तारीफ की। स्थानीय मीडिया में वह 'केनाल मैन' के नाम से मशहूर हो गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में उनकी तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा कर्मयोगी बताया। इस साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दैतारी कहते हैं–यह मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई आपकी मदद न करे, तो अकेले ही निकल पड़ो। बाद में सब आपके पीछे आएंगे ही।

भारतीय
श्रम पुस्तिका

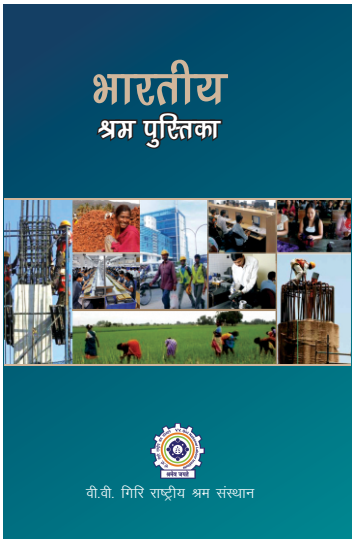

भारत विकास प्रक्रिया के एक बहुत महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। विगत कुछ वर्षों से हमारा देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास के इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, सभी के लिए गुणवत्ता वाला रोज़गार और श्रम मुद्दों का हल सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह पहलू जनता की आजीविका से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है। श्रम के संबंध में देश अनेक और विविध प्रश्नों का सामना कर रहा है, जिनका विस्तार रोज़गार और अल्प–रोज़गार के बारे में सरोकारों से लेकर बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा तक है। भारतीय श्रम मुद्दों की व्यापकता और विस्तार पर विचार करते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि इन मुद्दों का हल खोजने की प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में सामाजिक साझेदारों तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल किया जाए। हितधारकों की रचनात्मक सहभागिता तभी संभव है, जब कि श्रम से संबंधित सूचना और विचारों को सुलभ बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें भारत में श्रम के परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसका आशय यह है कि सुसंगत सूचनाएं एक सरल और बोधगम्य तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इन्हें समाज के व्यापक तबके तक पहुंचयोग्य बनाया जा सके। इस पुस्तिका का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

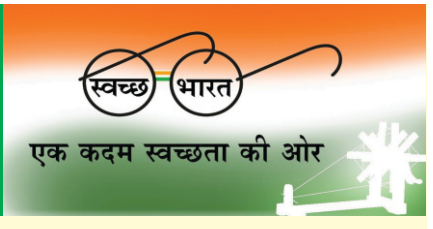

स्वच्छ, साफ–सुथरा एवं गरिमामय बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती।

आईये, जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनाने हेतु मिलकर काम करें।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
नौएडा

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट: www.vvgnli.gov.in